लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २७, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXVII, 1964/1885 (Saka)

[९ से २० मार्च, १९६४/१९ से ३० फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[March 9 to 20, 1964/ Phalguna 19 to 30, 1885 (Saka)]

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

(Vol. XXVII contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2602(Ai) LSD—1.

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड २७ — सातवां सत्र, १९६४]

अंक २१—सोमवार, ९ मार्च, १९६४/१९ फाल्गुन, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४८३	भूटान को तकनीकी सहायता	१५९७—९९
४८४	वैज्ञानिक अनुसन्धान में वृद्धि	१५९९—१६०२
४८५	हिन्द महासागर	१६०२—०३
४८६	कनाडा को भारतीय उत्प्रवासी	१६०३—०५
४८८	कांगो में भारतीय सैनिक दल	१६०५—०७
४८९	भारतीय श्रम सम्मेलन	१६०७—१०
४९३	एवरो–७४८	१६१०—१२
४९५	गोआ विधान सभा	१६१२—१४
४९६	तिब्बती शरणार्थी	१६१५—१७
४९७	सैनिक पुरस्कार	१६१८
४९९	कम्बोडिया की तटस्थता	१६१८—१९
५००	त्रिपुरा की सीमा	१६१९—२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
४८७	अधिक ऊंचाई पर रहने वाले जवान	१६२१–२२
४९०	श्रमजीवी तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	१६२२
४९१	वैज्ञानिकों का सम्मेलन	१६२२
४९२	मोटर परिवहन कामगार अधिनियम को लागू करना	१६२३
४९४	कोयला खान भविष्य निधि	१६२३
४९८	नेफा के लिये विद्युत् सम्भरण योजनायें	१६२४
५०१	टांगानिका में विद्रोह	१६२४

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

(*Third Series, Vol. XXVII—Seventh Session, 1964*)

No. 21—Monday, March 9, 1964/Phalguna 19, 1885 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	Subject	Pages
483	Technical Help to Bhutan	1597—99
484	Intensification of Scientific Research	1599—02
485	Indian Ocean	1602-03
486	Indian Emigrants to Canada	1603—05
488	Indian Contingent in Congo	1605—07
489	Indian Labour Conference	1607—10
493	AVRO 748	1610—12
495	Goa Assembly	1612—14
496	Tibetan Refugees	1615—17
497	Military Awards	1618
499	Neutrality of Cambodia	1618-19
500	Tripura Border	1619—21

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
487	Jawans Living at High Altitudes	1621-22
490	Wage Board for Working and Non-Working Journalists	1622
491	Conference of Scientists	1622
492	Implementation of Motor Transport Workers' Act	1623
494	Coal Mines Provident Fund	1623
498	Electric Power Supply Schemes for NEFA	1624
501	Mutiny in Tanganyika	1624

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९७६	राष्ट्रमण्डल युद्ध समाधि आयोग	१६२५
९७७	श्रम और रोजगार मन्त्रालय में समितियां	१६२५–२६
९७८	जर्मन भूगोल शास्त्री द्वारा भारत पर बनाई गई फिल्म	१६२६
९७९	बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें	१६२६
९८०	समाचारपत्रों का प्रकाशन	१६२६
९८१	मसूरी में प्रतिरक्षा संस्था	१६२७
९८२	आकाशवाणी में उच्चारण यूनिट	१६२७
९८३	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी	१६२७
९८४	अमरीका से रडार उपकरण	१६२८
९८५	अफ्रीका में भारतीय व्यापारी	१६२८
९८६	विज्ञान अकादमी	१६२८
९८७	सेना के सेवा-निवृत्त अफसरों के लिये पेन्शनें	१६२९
९८८	सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी	१६३०
९८९	उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	१६३०
९९०	स्वैच्छिक मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी गोष्ठी	१६३०–३१
९९१	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	१६३१
९९२	सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में समितियां	१६३१
९९३	कोयला खान भविष्य निधि	१६३१
९९४	'दिगुली कोलियरी' के सम्बन्ध में औद्योगिक पंचाट	१६३२
९९५	एरनाकुलम् हवाई अड्डा	१६३२
९९६	मिग्स इलैक्ट्रोनिक्स कारखाना	१६३२–३३
९९७	अखबारी कागज के कोटे का नियतन	१६३३
९९८	पूर्व पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये भारतीय	१६३३
९९९	सिंगरेनी कोलियरीज में कैन्टीन	१६३४
१०००	सैनिक और नौसैनिक बैंड्स को किराये पर लेना	१६३४

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Unstarred Question Nos.	Subject	Page
976	Commonwealth War Graves Commission	1625
977	Committees in Labour and Employment Ministry	1625-26
978	Film on India produced by German Geographer	1626
979	Journals published by the Children's Film Society	1626
980	Publication of Newspapers	1626
981	Defence Institute at Mussoorie	1627
982	Pronunciation Units in A.I.R.	1627
983	Civilian Defence Employees	1627
984	Radar Equipment from U.S.A.	1628
985	Indian Traders in Africa	1628
986	Academy of Sciences	1628
987	Pensions for Retired Army Officers	1629
988	Singareni Collieries Company	1630
989	Wage Boards for Industries	1630
990	Seminar on Voluntary Arbitration	1630-31
991	E.S.I. Scheme	1631
992	Committees in I. & B. Ministry	1631
993	Coal Mines Provident Fund	1631
994	Industrial Award on Diguli Colliery	1632
995	Ernakulam Airport	1632
996	Migs Electronics Factory	1632-33
997	Allotment of Newsprint Quota	1633
998	Indians killed in communal riots in East Pakistan	1633
999	Canteen at Singareni Collieries	1634
1000	Hiring of Military and Naval Bands	1634

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . .	१६३४–३५
(१) दिल्ली में "सी" बिजली घर का बन्द हो जाना	१६३५
श्री कपूर सिंह	१६३५
डा० कु० ल० राव	१६३५—३७
(२) पाकिस्तानी हैलीकॉप्टर द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण	१६३१—६३
श्री रा० बरुआ	१६६२
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	१६६२
श्री च० का० भट्टाचार्य	१६६२–६२
श्री हरि विष्णु कामत	१६६३
श्री यशवन्तराव चह्वाण	१६६३
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
छत्तीसवां प्रतिवेदन	१६३८
याचिकाओं का उपस्थापन	१६३८–३९
बोडपुर स्टेशन पर मद्रास–हावड़ा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में वक्तव्य	१६३९
श्री शाहनवाज़ खां	१६३९
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा	१६४०
श्री भागवत झा आजाद	१६४०–४१
श्री कृ० चं० पन्त	१६४१—४३
श्री ही० ना० मुकर्जी	१६४३–४४
श्री यशपाल सिंह	१६४५–४६
श्री रामचन्द्र मलिक	१६४६
श्री शिव चरण गुप्त	१६४६–४७
श्री चन्द्रिकी	१६४७–४८
श्री ओंकारलाल बेरवा	१६४८–४९
श्री हिम्मतसिंहका	१६४९–५०
डा० सरोजिनी महिषी	१६५१–५२
श्री च० का० भट्टाचार्य	१६५२
श्री तन सिंह	१६५३–५४
श्री रामेश्वर टांटिया	१६५४

Subject	Pages
Re : Motions for Adjournment and Calling Attention Notices .	1634-35
Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance . .	1635
(*i*) Closing of 'C' Power Station in Delhi	1635
Shri Kapur Singh	1635
Dr. K. L. Rao	1635-37
(*ii*) Intrusion of a Pakistan Helicopter into India . . .	1661-63
Shri R. Barua	1662
Shri Tridib Kumar Chaudhuri	1662
Shri C. K. Bhattacharyya	1662-63
Shri Hari Vishnu Kamath	1663
Shri Y. B. Chavan	1663
Re. Calling Attention Notice	
Papers laid on the Table	
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Thirty-sixth Report	1638
Presentation of Petitions	1638-39
Statement *re*: accident to Madras-Howrah Express at Baudpur Station	1639
Shri Shahnawaz Khan	1639
General Budget, 1964-65—General Discussion	1640
Shri Bhagwat Jha Azad	1640-41
Shri K. C. Pant	1641—43
Shri H. N. Mukerjee	1643-44
Shri Yashpal Singh	1645-46
Shri Rama Chandra Mallick	1646
Shri Shiv Charan Gupta	1646-47
Shri Chandriki	647-48
Shri Onkar Lal Berwa	1648-49
Shri Himatsingka	1649-50
Dr. Sarojini Mahishi	1651-52
Shri C. K. Bhattacharyya	1652
Shri Tan Singh	165 -54
Shri Rameshwar Tantia	654

स : मान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

विषय	पृष्ठ
श्री बाकर अली मिर्जा	१६५५–५६
श्री रा० बरुआ	१६५६–५८
श्री श्यामलाल सर्राफ	१६५७–५८
श्री रंगा	१६५८–५९
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट	१६५९–६०
श्री करुथिर मणं	१६६१—६३
श्री शिवमूर्ति स्वामी	१६६३–६४
श्री प० ला० बारूपाल	१६६४–६५
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	१६६५

Subject	Pages
Shri Bakar Ali Mirza	1655-56
Shri R. Barua	1656-57
Shri Sham Lal Saraf	1657-58
Shri Ranga	1658-59
Shri J. B. S. Bist	1659-60
Shri Karuthiruman	1661—63
Shri Sivamurthi Swamy	1663-64
Shri P. L. Barupal	1664-65
Shri T. T. Krishnamachari	1665

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, ९ मार्च, १९६४ / १९ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Monday, March 9, 1964/Phalguna 19, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*}

प्रश्नों के मौखिक उतर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूटान को तकनीकी सहायता

+

*४८३. {श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भो० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान सरकार में राज्य में सड़क बनाने तथा विकास परियोजनाओं में सहायता के लिए कई इंजीनियरों तथा टैक्नीशियनों की सेवायें मांगी हैं; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) भूटान सरकार को इंजीनियरों तथा प्रविधिज्ञों की जरूरत पूरी करने के लिये सरकार पूर्ण यत्न कर रही है। बहुत से भारतीय इंजीनियर तथा प्रविधिज्ञ पहले से ही भूटान में हैं। भूटान भेजने के लिये और अधिक प्रविधिज्ञों की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि भूटान को पहली योजना के लिये रखे गये १८ करोड़ रुपये में से पिछले तीन वर्षों मे केवल ३ से ४ करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है ? क्या यह भूटान की सहायता के लिये भारतीय तकनीकी कर्मचारियों के न भेजे जाने के कारण है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं वे मेरे पास नहीं हैं। परन्तु योजना के लिये जो धनराशि रखी गई है वह १७·४७ करोड़ रु० है। यह सारी इसलिये खर्च नहीं हो सकी क्योंकि उन के पास आवश्यक तकनीकी कर्मचारी तथा इंजीनियर नहीं हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि पर्याप्त भारतीय सहायता के न मिलने से कुछ ऐसे देश जिन की विचारधारा हम से नहीं मिलती, इस बात का लाभ उठा रहे हैं और भटान को सहायता देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। यदि हां, तो क्या उपाय किये जा रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह सच नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : Who will bear the expenses for the engineers, technicians etc. who have been demanded by the Bhutan Govt. for constructing roads—the Centre or the State ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भारत। सारी राशि भूटान को सीधे अनुदान के रूप में दी जाती है।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तकनीकी सहायता के इलावा भूटान ने वित्तीय सहायता भी मांगी है, यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि १७.४७ करोड़ रुपये की सारी राशि सीधे अनुदान के रूप में दे दी जाती है। जिस का अर्थ यह है कि हम उन्हें सभी आवश्यक सहायता दे रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये सड़क निर्माण परियोजनायें किसी तरह से उस सतही संचार व्यवस्था से सम्बद्ध हैं जो चीनी इस हिमालय क्षेत्र मे स्थापित कर रहे हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि कोई और देश इसमें नही आता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या ये सड़कें बनाने का अन्तिम परिणाम यह होगा कि ये उस प्रदेश में चीन द्वारा स्थापित संचार व्यवस्था से सम्पर्क जोड़ देगी।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं कह नहीं सकती :

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह योजना भूटान की ड्रैगन परियोजना का भाग है या उस से मिलाई जा रही है अथवा क्या इन दोनों मे किसी तरह का समन्वय है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ड्रैगन परियोजना के बारे मे मुझे कुछ पता नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : कुछ पता नहीं ? सरकार ड्रैगन परियोजना की ओर ऐसे आराम से आंखें मुंदे हुए है ? नेफा मे टस्कर है, भूटान मे ड्रैगन तथा लद्दाख मे बीकन।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: जी हां। सड़क निर्माण परियोजना के लिये भी रुपया इस्तेमाल किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या दोनों को मिलाया जा रहा है या दोनों के बीच कोई समन्वय होगा या दोनों अलग अलग चलाई जा रही हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे विचार मे इसे अलग ही चलाया जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भूटान और सिक्किम के क्षेत्रों में एक व्यापक आधार पर सड़कों की कुल संभाव्य आवश्यकताओं का निर्धारण करने तथा भूटान सरकार से परामर्श के साथ ऐसे व्यापक निर्धारण के आधार पर इस प्रदेश मे एक सड़क निर्माण कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने का प्रयास किया गया है ।

बिना विभाग के मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जी हां । इन सभी सीमावर्ती सड़कों के बारे मे उचित निर्धारण तथा सर्वेक्षण किये गये हैं । यह निश्चित है कि हम जो भी करेंगे भूटान सरकार के परामर्श से ही करेंगे ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान में वृद्धि

\+

*४८४. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वैज्ञानिक अनुसन्धान में वृद्धि करने के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की कुछ सिफारिशें स्वीकार करली हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें कौन कौन सी हैं ; और

(ग) कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं तथा किन कारणों से ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) सिफारिशें ये हैं :—

(१) वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विकास के काम में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाये तथा उन की योग्यता बढ़ाई जाये ।

(२) रक्षा के काम आने वाली नई सामग्री, औजार तथा हथियारों के विकास के लिए अपेक्षित सामग्री, यंत्रों तथा औजारों की और अच्छी व्यवस्था की जाये ।

(३) देश के वातावरण सम्बन्धी तथा प्राकृतिक संसाधनों का और अधिक लाभ उठाने के लिए उन के अध्ययन का काम और तेजी से किया जाय ।

(४) देश का यह भावना त्याग देना चाहिये कि विकास संबंधी अनुसन्धान का काम विलासिता है और यह महसूस करना चाहिये कि वर्तमान स्थिति मे और विशेषतया प्रतिरक्षा के लिये अनुन्धान तथा विकास के काम को तेजी से बढ़ाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

(५) बजट की सीमाओं के भीतर रहते हुए अनुसन्धान संस्थाओं में वैज्ञानिक के नये पदों के निर्माण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये ।

(ग) सरकार ने मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की इन सब सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि इन सिफारिशों के फलस्वरूप अनुसन्धान के लिये और कितना आवंटन करना पड़ेगा और यदि हां, तो इस बारे में क्या फैसला किया गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: इन सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने १२ नवम्बर, १९६३ को ही स्वीकार किया था । अभी हमें यह देखने की प्रतीक्षा करनी होगी कि इस की क्रियान्विति कैसे होती है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस समिति ने इस बारे में भी कोई निर्धारण किया है कि हम अपने देश को विश्व में होने वाले नवीनतम वैज्ञानिक अनुसन्धान के साथ साथ कहां तक रख पाये हैं । क्या हम औरों के साथ हैं या बहुत पीछे हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी हां । विभिन्न देशों में अनुसन्धान तथा विकास व्यय के आंकड़ों की तुलना की गई है और उस से पता चलता है कि हम बहुत ही पीछे हैं ।

Shri Siddheshwar Prasad : Did this Scientific Advisory Committee consider the suggestions given recently by Prof. Blackett in respect of the National Physical Laboratory here and our problems of scientific research; if so, the decision taken in regard thereto ?

The Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) : This Committee, in which there are very eminent persons, has considered all the recommendations regarding all the Projects. It has also made recommendations in accordance with the Indian requirements and they have been accepted by the Government *in toto*.

Shri Siddheshwar Prasad : Has it considered the suggestions given by Pro. Blackett ?

Mr. Speaker : When he says that all have been taken into consideration, that covers the suggestions of Shri Blackett also.

श्री हेम बरुआ : वैज्ञानिकों का इंगलैंड की तरह अमरीका चला जाना भी क्योंकि हमारी एक समस्या है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सहकार ने विदेशों में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को कोई विशेष लाभ देने का प्रस्ताव किया है ताकि वे इस देश में लौट आयें और हमारे वैज्ञानिक अनुसन्धान के कार्य की वृद्धि मे हमारी सहायता कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी एक सिफारिश है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर यह प्रश्न नहीं हो सकता । मैं मानता हूं कि यह सराहनीय है लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इस प्रश्न से सम्बन्ध रखता है या नहीं ?

श्री हेम बरुआ : क्या मैं सम्बन्ध स्थापित कर सकता हूं ? सिफारिशें इस देश में वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य बढ़ाने के लिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन क्या यह उन की सिफारिश थी ? नहीं । इसलिये मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री त्यागी : क्या माननीय मंत्री सभा को भारत की इन प्रयोगशालाओं में किये गये कुछ महत्वपूर्ण और मौलिक अनुसन्धानों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : श्रीमान्, इस पर एक अलग प्रश्न पूछा जाये।

डा० सरोजिनी महिषि : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या कुछेक वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाओं में किये गये काम का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : न केवल भारत के वैज्ञानिक बल्कि विदेशी वैज्ञानिक भी सामान्य रूप से इस बात को मानते हैं कि हमारी प्रयोगशालाओं का काम बड़ी उच्च कोटि का है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह था कि वित्त के बारे में या अन्य बातों में हम अपनी प्रयोगशालाओं और विज्ञान से सम्बन्धित सभी विभागों को सभी आवश्यक सुविधायें दें। इसलिये हम ने यह देखने के लिये एक स्थायी समिति बनाने का निर्णय किया है कि वैज्ञानिक कार्य अथवा वैज्ञानिक विकास के मार्ग में कोई कठिनाइयां न आयें।

श्री जोकीम आल्वा : हाल ही में सर जाली जुकरमन जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके हैं हमारे देश में आये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनके साथ कोई विचार-विमर्श हुआ था तथा उन्होंने वैज्ञानिक अनुसन्धान के बारे में अपना परामर्श दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : इस समिति के बारे में या किसी और समिति के बारे में ?

श्री जोकीम आल्वा : श्रीमान्, इसी समिति के बारे में।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या सरकार का ध्यान उन गंभीर त्रुटियों की ओर गया है जिनका पीछे सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने उल्लेख किया था, कि हमारा वैज्ञानिक विकास इतना कम है कि पावर टरबाइनों की मरम्मत के लिये हमें इंजीनियर तथा टैक्नोलोजीविज्ञ नहीं मिल पाते और यदि हां, तो क्या इस पर कमी को शीघ्र पूरा करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यहां हम सामान्य कमी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह तो एक ऐसी समिति की एक विशेष रिपोर्ट के बारे में है जो यह देखने के लिये नियुक्त की गई थी कि हमारे प्रयास कितने गहन हैं, उन में से कौन सी सिफारिशें मान ली गई हैं और कौन सी रद्द हो गई हैं। हमारे सामने तो यह सवाल है।

Shri Yashpal Singh : Has this Committee made any such recommendation that the most competent hands in the Roorkee University, the highest Engineering university, should be consulted in this regard?

Mr. Speaker : Even if it had not, now it has come to their notice.

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शिक्षा के लिये अधिक धन दिया जाये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक वैज्ञानिक शिक्षा का प्रश्न है इसका सम्बन्ध एक दूसरे मंत्रालय से है। फिर भी, कुल मिला कर, समिति ने बड़ी जोरदार सिफ़ारिश की है कि विज्ञान की शिक्षा या प्रशिक्षण या अनुसन्धान का पूरी तरह से विकास होना चाहिये तथा उसकी पूरी सहायता की जानी चाहिये।

हिन्द महासागर

***४८५. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मन्त्री** ९ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया सरकार ने सरकारी तौर पर तथा औपचारिक रूप में हिन्द महासागर का नाम 'इण्डोनेशियन ओशन' कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इण्डोनेशिया सरकार से इस बीच कोई पत्र मिला है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह): (क) कहा जाता है कि इन्डोनेशिया की नौ सेना कमान ने घोषणा की है कि हिन्द महासागर का नाम बदल कर इण्डोनेशयिन ओशन कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इण्डोनेशिया की नौसेना कमान की इस कार्यवाही से यह पता चलता है कि इण्डोनेशिया सरकार चीनी आक्रमण से पहले की अपेक्षा आज भारत के प्रति अधिक शत्रुता रखती है ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं; इस कार्यवाही का भारत के प्रति शत्रुता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह कार्यवाही इस बात की द्योतक नहीं है कि इण्डोनेशिया सरकार की हिन्द महासागर के इलाके में प्रभुत्ता प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होती जा रही है तथा क्या सरकार को ऐसी भी सूचनायें मिली हैं कि इण्डोनेशिया सरकार से मिल कर चीन इस इलाके में एक नौसेना अड्डा बनाने के बारे में सोच रहा है जो कि मलयएशिया के विरुद्ध, जो चीनी आक्रमण के समय इस प्रदेश में हमारा सब से अच्छा मित्र था, एक "क्रान्तिकारी आक्रमण" की इण्डोनेशिया सरकार की हाल ही की एक घोषणा से और भी प्रमाणित हो जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले भाग में केवल राय पूछी गई है। दूसरे भाग का उत्तर दे दिया जाये।

श्री दिनेश सिंह : नाम बदलने का इन सब चीजों से कोई सम्बन्ध नहीं जो माननीय सदस्य ने कही हैं। इण्डोनेशिया सरकार के सहयोग से चीनी अड्डे के निर्माण की हमें कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इण्डोनेशिया सरकार की यह कार्यवाही इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयासों को बढ़ाने की ओर एक कदम है।

श्री दिनेश सिंह : श्रीमान्, नाम बदलने का प्रभुत्व जमाने से क्या सम्बन्ध है ? कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को कोई ऐसी सूचनायें मिली हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का विचार है कि इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास कोई सूचनायें पहुंची हैं।

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं; इसका उससे कोई वास्ता नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या कोई ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय मान चित्रण संगठन हैं जो वास्तव में इस बात का निर्णय करते हैं कि संसार के मानचित्र में अलग अलग क्षेत्रों का क्या नाम रखा जाना है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार का उस तरह के संगठन से कोई सम्पर्क है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां; अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्रण आयोग नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ का एक आयोग है। उन्होंने इण्डोनेशिया से आया कोई अनुरोध हमारे पास नहीं भेजा है। हमें किसी ऐसी अतर्राष्ट्रीय कार्यवाही का ज्ञान नहीं है जो इण्डोनेशिया ने इस बारे में की हो।

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इण्डोनेशिया सरकार ने मानचित्रण सम्बन्धी यह जो नई चीज़ की है क्या वह केवल संकीर्णता का अतिरेक है अथवा किसी गहरी नीति या रवैये का, जिसे मैं भारत-विरोधी तो नहीं कहता, परिचायक है ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी राय का मामला है।

श्री कपूर सिंह : यह केवल अनुमान की बात है।

अध्यक्ष महोदय : केवलमात्र अनुमान भी राय ही है। प्रश्नकाल में केवल जानकारी ही मांगी जा सकती है, अनुमान या राय नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री मुकर्जी ने किसी अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्रण संस्था के बारे में पूछा था । देश या महासागर के नाम में किसी परिवर्तन के संसार के देशों द्वारा स्वीकार किये जाने के लिये क्या कोई कसौटी या नियम हैं ? यदि कोई निरुढ़ियां हैं तो क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मेरा ऐसा विचार है। कुछ निश्चित नियम अवश्य होंगे। पहले यह प्रश्न सामने नहीं आया है।

कनाडा को भारतीय उत्प्रवासी

***४८६. श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीयों ने कनाडा में बसने के लिए पासपोर्ट के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कनाडा सरकार भारतीय उत्प्रवासियों को अपने यहां बसाने के लिये तैयार है परन्तु भारत सरकार उनको पासपोर्ट नहीं देना चाहती है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों का पता है कि कनाडा सरकार भारतीय उत्प्रवासियों को अपने यहां बसाने के लिये तैयार है परन्तु

भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती ? यदि उत्तर हां में है तो मैं जानना चाहती हूं कि इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उत्तर नहीं में है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि पिछले दो वर्षों में कितने लोग कनाडा जा कर बस गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : यह तो मैं नहीं बता सकता कि कितने गये हैं परन्तु इतना कह सकता हूं कि हम ने किसी को पासपोर्ट की सुविधायें देने से इन्कार नहीं किया है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कनाडा सरकार भारतीय उत्प्रवासियों के वहां बसने के बारे में भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर रही है ? यदि हां, तो पत्र व्यवहार में मुख्य बातें क्या क्या हैं ?

श्री दिनेश सिंह: प्रश्न यह है कि क्या हम लोगों को जाने से रोक रहे हैं और मैं ने कहा है कि हम रोक नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहती हैं कि जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है क्या कनाडा सरकार हम से सम्पर्क बनाये हुए है।

श्री दिनेश सिंह : कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर सकने वाले भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या निर्धारित है। हमारा विश्वास है कि उस देश में एक नया कानून लागू करने की बात हो रही है परन्तु हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री विश्वनाथ राय: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीयों ने काफी संख्या में कनाडा जाने के लिये पासपोर्ट या अनुमति के लिये सरकार के पास आवेदन पत्र भेजे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी अभी बताया है कि हम ने किसी को पासपोर्ट की सुविधाओं से इन्कार नहीं किया है।

Shri Tulsidas Jadhav : I want to know the number of our citizens who are in Canada and whether they have any grievance.

Shri Dinesh Singh : I cannot say how many Indians there are. On one hand, there are Indian nationals is in Canada and, on the other, there are persons who have acquired Canadian citizenship. Both these questions are often mixed up. The Indian nationals are our responsibility. I would say that often.....

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know whether they have any difficulty.

Shri Dinesh Singh : Difficulties and comforts are always there to some extent but there is no special difficulty as such.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जो भारतीय लोग कनाडा में जाना चाहते हैं उन्हें अपने यहां आने देने के सम्बन्ध में कनाडा की स्थिति क्या है ? क्या सरकार उन लोगों की कुल संख्या बता सकती है जिन्होंने पिछले वर्ष कनाडा जाने के लिये आवेदन-पत्र भेजे थे ?

श्री दिनेश सिंह : आवेदन पत्र कनाडा सरकार को भेजे जाते हैं। प्रति वर्ष ३०० लोगों का अभ्यंश है। पिछले दो वर्षों में—१९६२ और १९६३—हम ने १९६२ में १५० को तथा १९६३ में १३० को पासपोर्ट दिये हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : एक समय कनाडा में उत्प्रवास विनियम हुआ करते थे जो भारतीयों के प्रति कुछ अपमानजनक थे। मैं समझता हूं कि टैगोर तक को इस कारण अपमान सहन करना पड़ा था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उत्प्रवास विनियमों में से उन अपमानजनक अंशों को पूर्णतः निकाल दिया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : अधिमान्य अभ्यंश का प्रश्न था जो कुछ यूरोपीय देशों को दिया जाता था और भारत को नहीं मिलता था। बाद में कनाडा सरकार ने कनाडा में बसने की इच्छा रखने वाले भारतीयों को भी अधिमान्य अभ्यंश देने का निर्णय कर लिया। कोई अपमानजनक उपबन्ध नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि अभ्यंश तो ३०० व्यक्तियों का है परन्तु गये केवल १६० हैं। मैं जानना चाहती हूं कि कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे और समस्त अभ्यंश के लिए पासपोर्ट क्यों नहीं दिए गए ?

श्री दिनेश सिंह: यदि माननीय सदस्य ने मुझे ध्यान से सुना है तो मैंने यह नहीं कहा था कि इतने गये हैं। मैं ने तो यह कहा था कि हम ने इतने व्यक्तियों को पासपोर्ट दिए हैं। ३०० को वहां दाखिल किया गया है। कनाडा में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या काफी है। हो सकता है उन्होंने नागरिकता के लिए लिखा हो और उन्हें इस अभ्यंश में सम्मिलित कर लिया गया हो। यहां तो मैं केवल उन्हीं लोगों के आंकड़े दे रहा हूं जिन्हें हम ने पासपोर्ट दिए हैं। मैं ने यह भी कहा था कि हम ने किसी को पासपोर्ट देने से इन्कार नहीं किया है।

कांगों में भारतीय सैनिक दल

+

*४८८. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्री यशपालसिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगों में संयुक्त राष्ट्र सेना के अंग के रूप में काम कर रहे सम्पूर्ण भारतीय सैनिक दल को अब वापस बुला लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी और अवधि तक वह वहां पर रहेगा ;

(ग) कांगों में इस सैनिक दल को भेजने पर अब तक कुल कितनी रकम व्यय हुई है ; और

(घ) क्या व्यय की रकम का कोई भाग संयुक्त राष्ट्र से अथवा किसी और से वसूल कर लिया गया है अथवा वसूल किया जाना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) कांगो को भेजी गई हमारी सेनाओं में से अधिकांश सेनायें, यहां तक कि इनफैन्ट्री ब्रिगेड ग्रुप भी, वापस आ गई हैं। कुछ सहायक तथा प्रशासक टुकड़ियों, जिनमें कुल १६४ व्यक्ति हैं, अभी वहां पर हैं।

(ख) वर्तमान योजना के अनुसार अभी जो टुकड़ियां तथा व्यक्ति कांगो में हैं, वे ३० जून १९६४ तक वहां रहेंगे ।

(ग) ३० सितम्बर, १९६३ तक, ६,३८,३७,४०० रुपये ।

(घ) ४,४१,३५,८३० रुपये की राशि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस मिलनी है । अभी तक उन से हमें २,५१,६३,९३५ रुपये की राशि प्राप्त हुई है ।

श्री महेश्वर नायक : क्या इस सैनिक दल के अतिरिक्त वहां पर हमारा एक सैनिक चिकित्सक दल भी है और वह दल कब तक वहां पर रहेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : वह जून, १९६४ के अन्त तक वहां पर रहेगा ।

Shri Yashpal Singh : It is not clear from the reply given by the hon. Minister as to what our remaining army personnel are doing there. Would the hon. Minister let us know the same ?

Shri Y. B. Chavan : They are performing the same job for which they were sent there e.g. the medical contingent is doing the same work as before ?

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १९६२ में इस सदन में हमें अनेक बार यह बताया गया था कि कांगो में जो हमारी सेनायें काम कर रही हैं वे सभी वापस बुला ली जायगी और यह कि सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इस आशय की प्रार्थना भेजी है क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया है और इस का क्या कारण है कि कांगो से अभी तक भी हमारी सारी सेनायें वापस नहीं बुलाई जा सकी हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि लड़ाकू सेनायें वापस बुला ली गई थीं ; उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी गई थी ; इस सेना के भी १९६३ के अन्त का वापस आने की आशा थी परन्तु उन्होंने छः महीने का और समय मांगा था और हम इस से सहमत हो गये हैं ।

श्री हिर विष्णु कामत : क्या यह सच है कि शांति बनाये रखने वाली एक स्थायी सेना को बनाने का एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में है, ऐसी सेनाओं को बनाने का जैसीकि कांगो में भेजी गई हैं किन्तु जोकि एक स्थायी आधार पर हो ; और क्या यह भी सच है कि कुछ स्कैन्डिनेवियन देशों ने सैनिकों और धन के रूप में इसमें अपना अंशदान दिया है और क्या हमारी सरकार भी इस आशय के किन्हीं प्रस्तावों पर—शांति बनाये रखने का कार्य करने के लिये संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना की स्थापना का प्रस्ताव—विचार कर ही है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत जी, वह एक अलग चीज है । यह प्रश्न तो उन सेनाओं के बारे में है जोकि हम ने संयुक्त राष्ट्र की प्रार्थना पर कांगो भेजी हैं । हमारा केवल इसी प्रश्न के साथ सम्बन्ध है ।

श्री हरि विष्णु कामत : कांगो में शांति बनाये रखने वाली सेनाओं के साथ मिल कर हमारी सेनाओं ने बहुत ही साहसिक कार्य किया है । क्या शांति बनाये रखने वाली एक स्थायी सेना को बनाने का कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रामेश्वरानन्द ।

Shri Rameshwaranand : What is the number of our army personnel who are still there under the U. N. Command and the number of officers and other ranks out of them ? Do Government propose to withdraw them keeping in view the present emergency ?

Mr. Speaker : A reply to all this has already been given .

Shri Rameshwaranand : The reply given may kindly be stated again. I could not listen to it.

Mr. Speaker : 164 army personnel are still there and they are to stay there upto the end of June, 1964. It is hoped that they also will be withdrawn after the expiry of this period.

Shri Tulshidas Jadhav : What are the names of the countries which like India have sent their army personnel to Congo and the number of such soldiers sent by each country ?

Mr. Speaker : Every thing cannot be disclosed.

भारतीय श्रम सम्मेलन

*४८९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन की स्थायी श्रम समिति ने २७ दिसम्बर, १९६३ की अपनी बैठक में क्या मुख्य निर्णय किये ; और

(ख) उन निर्णयों की शीघ्र क्रियान्विति कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). समिति की मुख्य सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४७६/६४]**

सामान्य परिपाटी के अनुसरण में, ऐसे मामलों की स्थिति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और जहां भी आवश्यक होता है, इन सिफारिशों की शीघ्र कार्यान्विति को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

श्री श्रीनारायण दास : कौन कौन सी सिफारिशें अभी क्रियान्वित किये जाने के लिये शेष हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह तो विवरण में ही दिखाया गया है कि मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : निर्वाह व्यय सूचकांकों को एकत्रित करने के ढंग में सुधार करने के बारे में केवल महाराष्ट्र राज्य में बम्बई के श्रमजीवी लोगों के निर्वाह-व्यय सूचकांक का उल्लेख किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर इत्यादि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमजीवी लोगों से संबंधित निर्वाह-व्यय सूचकांकों को एकत्रित करने की प्रक्रिया में समूचा संशोधन करने के बारे में भी कोई चर्चा की गई थी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह तो अलग प्रश्न होगा। महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने सूचकांकों के सम्बन्ध में एकत्रित किये गये आंकड़ों की जांच करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की थी क्योंकि बम्बई और अहमदाबाद के आंकड़े भिन्न भिन्न थे। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और बम्बई और अहमदाबाद के लिये सूचकांकों में क्रमशः २९ और १९ पाइन्ट्स की वृद्धि की सिफारिश की है। दोनों सरकारों ने यह सिफारिश मंजूर कर ली है।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों के सम्बन्ध में निर्वाह व्यय सूचकांकों को एकत्रित करने की प्रक्रिया में समूचा संशोधन करने के बारे में स्थायी समिति में ही कोई चर्चा की गई थी।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : वास्तव में तो समस्त भारत के ही सूचकांक हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत विशिष्ट है। इस लिये उस का उत्तर दिया जाय।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड ने अखिल-भारतीय निर्वाह व्यय सूचकांक को स्वीकार कर लिया था। परन्तु बम्बई और महाराष्ट्र के आंकड़ों के सम्बन्ध में कुछ मतभेद था, जिसका कि मैंने पहले एक दिन जिकर किया था। इन दो नगरों के लिये विभिन्न आंकड़ों के होने के कारण यह गलती हुई थी, जैसा भूतपूर्व श्रम मंत्री ने बताया था।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मजदूरों के कुछ वर्गों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की सिफारिश को सभी नियोजकों ने नहीं माना हैं और यदि हां, तो इस के क्या कारण ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हम सिफारिशों की ओर सभी नियोजकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हम इसका अनुसरण कर रहे हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : बम्बई में जो कठिनाई उत्पन्न हुई थी वह केवल आंकड़ों के ही कारण नहीं थी अपितु उन आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया के कारण भी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बम्बई और गुजरात की गलतियों की जांच करने वाली समिति ने अन्य औद्योगिक केन्द्रों की आंकड़ों को एकत्रित करने की पद्धति को सही पाया हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : दो प्रकार के आंकड़ों के होने के कारण जो कठिनाई उत्पन्न हुई थी उसको हल करने के लिये लकड़वाला विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मुझे नहीं मालूम कि उनके बारे में कोई कठिनाई हुई है, परन्तु यदि कोई कठिनाई हुई भी है तो उसकी ओर हमारा ध्यान विशेषरूप से आकर्षित नहीं किया गया है।

श्री वारियर : लकड़वाला विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में यह शिफारिश की गई थी कि १९६० के सूचकांक में २९ पाइन्ट की वृद्धि की जाये। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या १९६० से लेकर पुनरीक्षित आंकड़ो के अनुसार मंहगाई भत्ता भूतलक्षी प्रभाव से दिया जायेगा अथवा केवल अभी से ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : १ जनवरी, १९६४ से।

श्री वारियर : भूतलक्षी प्रभाव से नहीं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जी, नहीं ।

श्री प्र० चं० बरुआ: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि कुछ विशेष प्रकार के मामलों में औद्योगिक शांति संकल्प के अधीन अपराधी पाये जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये भारत प्रतिरक्षा नियमों का आश्रय लिया जाये ? यदि हां, तो वे विशेष प्रकार के मामले कौन कौन से हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम इसे क्रियान्वित कर रहे हैं और इसकी प्रगति देख रहे हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: सिफारिश संख्या ४ में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ता स्टोरों की स्थापना की सिफारिश की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने राज्यों ने इस सिफारिश का पालन किया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: जहां तक स्टोरों की स्थापना का सम्बन्ध है, ६० प्रतिशत मामलों में सिफारिश पर अमल किया गया है। ये स्टोर उन उद्योगों में स्थापित किये जाते हैं जहां कि ३०० से अधिक कर्मचारी हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : पृष्ठ संख्या २ पर यह बताया गया है कि मंहगाई भत्ते को किसी प्रकार से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समनुरूप करने के प्रश्न पर सभापति ने इस ओर संकेत किया था कि इसे समनुरूप करने की प्रवृत्ति पनप रही है और बहुत से उद्योगों में इसका अधिकाधिक अनुसरण किया जा रहा है। यह देख कर हमें आश्चर्य होता है कि बहुत से उद्योगों ने ऐसा नहीं किया है। इस बात को देखने के लिये कि सभी उद्योगों में ऐसा किया जाये, श्रम मंत्रालय क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : इसे निर्वाह व्यय सूचकांक के समनुरूप करने का विचार है। परन्तु कुछ मामलों में, नियोजकों और कर्मचारियों के बीच किया गया समझौता मजदूरों के लिये अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कोई कठोर नियम नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी।---श्री पी० के० देव ।

श्री प्र० के० देव: सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिसमें अधिकरणों पर व्यक्तिगत मामलों की जांच करने के बारे में प्रतिबन्ध लगाया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन: मैंने बताया था कि विधि मंत्रालय से परामर्श लिया गया था और हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी उठे——

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले बुलाया था परन्तु उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: उस समय तक माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे । इस लिये मैंने उसमें अंतर्बाधा नहीं डाली ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब तो मैं अगला प्रश्न लूंगा ।

एवरो–७४८

\+

*४९३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम हरख यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर कारखाने में बनाये गए एवरो-७४८——शृंखला २के पहले विमान ने परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके पूरा होने में कितना धन लगा है तथा उसमें कितने प्रतिशत देसी पुर्जे हैं ; और

(ग) इस विमान की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा नन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया): (क) जी, हां । शृंखला-२ के एवरो-७४८ विमान ने २८ जनवरी, १९६४ को अपनी प्रारम्भिक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक की ।

(ख) प्रारम्भिक विमान की वास्तविक लागत तथा उसमें लगे स्वदेशी पुर्जों के बारे में हिसाब लगाया जा रहा है । अनुमानित लागत लगभग ३२ लाख रुपये की है जिसमें २० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय होगा । इस प्रकार स्वदेशी पुर्जे लगभग ३७% होंगे ।

(ग) (१) एवरो-७४८ को शक्ति प्रदान करने के लिये राल्स रायस प्रार्पलर-टरबाइन पावर प्लान्ट्स का उपयोग किया जाता है (२) फीडर लाइन के रूप में एवरो-७४८ की विशेषता यह है कि छोटे से हवाई अड्डों से इसका संचालन किया जा सकता है (३) ब्रिटेन और अमरीका असैनिक विमानों की उड़न योग्यता सम्बन्धी आपेक्षाओं को यह पूरा करता है (४)खराब होने से बचाने वाले सिद्धांन्तों के अनुसार इसे बनाया गया है (५) 'लो विंग डिजाइन' के अनुसार इसका निर्माण किया गया है (६) बिना तैयार किए गए धरातलों से इसे उड़ाया जा सकता है (७) प्रेशराइज्ड पैसेंजर केबिन (८) ग्रांउन्ड सर्विसिंग सुविधाएं (९) विमान में आटोमेटिक पाइलट व्यवस्था है और साथ ही मौसम की चेतावनी देने वाला रडार भी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि पहले इस विमान को भारतीय वायु सेना द्वारा उपयोग किये जा ने का निश्चय किया गया था और अब इसे इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को देने का विचार है, यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

श्री रघुरामैया : आवश्यकताओं की तीव्रता को देखते हुए इसमें फेरबदल किया जाता है। फिर भी हम यह चाहते हैं कि भारतीय वायु सेना तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन दोनों ही को इतने विमान दिये जायें जितने कि हम दे सकते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह विमान केवल आसाम के कठिन प्रदेश में ही उपयोग किये जाने के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को दिया जायेगा ; यदि हां, तो आसाम प्रदेश ही इस विमान के लिये क्यों चुना गया है ?

श्री रघुरामैया : मैं समझता हूं कि इनको कोई भ्रम है। भारतीय वायु सेना को शृंखला–१ का विमान दिया गया है जो कि यहां बनाया जाने वाला पहला विमान था। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने शृंखला–२ के विमान की मांग की थी और मैं समझता हूं कि उसे पहले वे एक भार-वाही मार्ग पर चलाकर उसकी परीक्षा लेंगे।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि एवरो शृंखला-१ विमान की दक्षिण पूर्व एशियाई देशो में एक प्रकार के बिक्री के प्रयोजन से उड़ान की गई थी, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे चारों ओर के देशों में शृंखला-२ के विमान की भी बिक्री के प्रयोजन से उड़ान कराने का सरकार का विचार है ?

श्री रघुरामैया : जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में विमान हो जायेंगे तो हम इस मामले पर विचार करेंगे।

श्री कपूर सिंह : इसी प्रकार के विदेशी विमान की तुलना में इस विमान की उड़ान-समर्थता तथा लागत क्या है ?

श्री रघुरामैया : तुलनात्मक लागत की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री वारियर : इस विमान की प्रारम्भिक अनुमानित लागत कितनी थी और वास्तव में इस पर अब कितनी लागत आई है ?

श्री रघुरामैया : मैंने केवल मोटी तौर पर लागत बताई है क्योंकि, जैसा कि सदन भी मानता है, वास्तविक लागत इस बात पर निर्भर करती है कि कितने विमान बनाये जाते हैं। ऊपरी खर्चा बनाये जाने वाले विमानों के बीच ही बंटता है। इस लिये प्रारम्भिक अवस्था में लागत के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बताया जा सकता।

श्री प्र० के० देव : इस विमान की उत्पादन-दर क्या है और हमारी सैनिक तथा असैनिक दोनों ही आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हम कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

श्री रघुरामैया : वर्तमान आर्डर शृंखला-१ के चार और शृंखला-२ के २५ विमानों के लिये है। हमें आशा है कि १९६४ के अन्त तक शृंखला–१ के चारों और शृंखला-२ के कुछ विमान तैयार होकर उड़ सकेंगे।

श्री त्यागी : पहला विमान कब पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब तक कितने विमान पूरे तैयार हो चुके हैं ?

श्री रघुरामैया : पहले विमान के निर्माण की निश्चित तिथि तो मैं नहीं जानता परन्तु मैं समझता हूं कि वह लगभग दो वर्ष पहले तैयार हुआ था और तब से उसके अनेक परीक्षण लिये जा रहे हैं। तब से शृंखला-१ के दो विमान तैयार हो चुके हैं और जैसा कि मैंने अभी बताया है शृंखला-२ का एक विमान ।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि यह समझा जाता है कि इसकी उत्पादन लागत तथा सम्भावित विक्रय मूल्य विदेशों में उपलब्ध हो सकने वाले इसी प्रकार के विमान की तुलना में कम है ?

श्री रघुरामैया : मोटे तौर पर 'हां', क्यों कि मजदूरों पर हमारा खर्च उन देशों के इस खर्च की तुलना में कम होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वास्तव में इसे लाभकारी बनाने के लिये आपको कितने विमानों का प्रतिवर्ष निर्माण करना चाहिये और क्या उसके लिये आपके पास क्षमता है ?

श्री रघुरामैया : यदि माननीय सदस्य इससे कुछ समझ सकें तो मैं यह बताता हूं कि यदि १५ विमान बनाये जाते हैं तो लागत लगभग ३६ लाख रुपये होगी, यदि पचास बनाये जाते हैं तो लागत ३१ लाख रुपये होगी और यदि ७५ बनाये जाते हैं तो लागत ३० लाख रुपये होगी । लागत बनाये जाने वाले विमानों की संख्या पर निर्भर करती है ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस विमान के बनाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है, क्योंकि पहला तो दो वर्ष पहिले ही तैयार हो गया था ; और मैं मूल्य को भी जानना . . .

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न का उत्तर देने दीजिए ।

श्री रघुरामैया : कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ । जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं पहला विमान अनेक परीक्षणों में होकर गुजरा है । तब से तो हमने दो और विमान तैयार कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह भी बतना चाहता हूं कि इसके लिये विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ती है और स्वाभाविक रूप से ही हमें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है ।

गोआ विधान सभा

\+

*४६५. { **श्री अल्वारेस** : **श्री लोनीकर** : **श्री शिंकरे** : }

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ, दमन और दीव की विधान सभा में सरकारी नामांकित व्यक्तियों का अभी नामनिर्देशन नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा नाम निदेशन कब तक हो जायेंगे ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). संघ राज्य-क्षेत्र शासन अधिनियम, १९६३ की धारा ३(३) के अधीन भारत सरकार को गोआ, दमन और दीव की विधान सभा के लिये तीन सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है । यह शक्ति मुख्यतया समुदाय

के कमजोर भागों को उस हद तक प्रतिनिधित्व देने के लिये है जहां तक कि सरकार आवश्यक समझे। क्योंकि इस मामले पर, विशेषतया अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने के प्रश्न पर, अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है, अतः अभी तक नामनिर्देशन के प्रश्न को नहीं लिया गया है।

श्री अल्वारेस : क्या यह सच नहीं है कि गोआ के मुख्य मंत्री ने इस मामले में गोआ के लै० गवर्नर से कुछ विशेष सिफारिशें की हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, हां। यह प्रार्थना की गई थी कि नामनिदशन कर दिया जाय परन्तु जैसाकि बताया गया है इस समय सरकार व्यक्तियों को नामनिर्देशित करना आवश्यक नहीं समझती है।

श्री अल्वारेस : इस बात को देखते हुए कि संघ राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यक्तियों को नाम-नि शित करने के बारे में इस अधिनियम में कोई विशेष उपबन्ध नहीं है, क्या यह यथार्थ बात नहीं है कि ये नाम-निर्देशन मुख्य मंत्री की सिफारिश पर किये जाने चाहियें और क्या वे आदेशात्मक नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो इस मामले पर तर्क करने वाली बात है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार गोआ में फैली इस व्यापक धारणा को जानती है कि जिन नामों के लिये गोआ सरकार अथवा गोआ के मुख्य मंत्री ने सिफारिश की थी उनको भारत सरकार ने इस कारण अस्वीकार कर दिया है कि वे लोग समस्त देश में केवल ग़ैर-कांग्रेसी सरकार के सुचारु कार्यसंचालन में ही बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं और गोआ के सामान्य निर्वाचनों में हुई कांग्रेस की अपूर्व हार का बदला लेना चाहते हैं जिसमें कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी ? गोआ के लोगों में इस प्रकार की एक व्यापक धारणा है।

बिना विभाग के मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): मुझे खेद है कि श्री कामत एकदम गलत हैं . . .

श्री हरि विष्णु कामत : मैं नहीं, आप एकदम गलत हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जब इस विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो माननीय सदस्य किसी भी प्रकार के नामनिर्देशन के घोर विरोध में थे।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु फिर भी तो आपने वह रख ही लिया। अब यह आप के ऊपर उल्टा आ पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। प्रश्न पूछने के पश्चात् उन्हें शान्तिपूर्वक उत्तर सुनना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है। वास्तव में, दोष उनका ही है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपनी अपनी बारी पर प्रश्न पूछते हैं। जब प्रश्न पूछ लिया जाता है, उन्हें प्रश्न पूछने का तो अधिकार है ही, तो उन्हें उसके उत्तर को भी आवश्य सुनना चाहिये।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूं । मैं तो वास्तविक बातें बता रहा हूं, क्योंकि माननीय सदस्य और सामान्यतया सदन के अन्य सदस्य नामनिर्देशन के विरुद्ध थे । जब मैं विधेयक को ला रहा था तो मैंने बताया था कि लोगों को नामनिर्देशित करने की हमारी इच्छा नहीं है जब तक कि ऐसा करना आवश्यक न हो । मैं फिर इस बात को दुहराता हूं कि जब जनसमुदाय के अपेक्षाकृत कमजोर भागों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो हमें नाम-निर्देशन का आश्रय लेना पड़ेगा । अन्यथा, यदि उनका उचित प्रतिनिधित्व होगा, तो नामनिर्देशन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी । यह बात मैंने माननीय सदस्यों को बताई थी । और मैं समझता हूं कि वे इससे संतुष्ट हो गये थे और इस बात से सहमत हो गये थे कि विधेयक में नामनिर्देशन की व्यवस्था कर दी जाये । प्रत्येक परिस्थितियों में हम उस नीति की घोषणा के अनुसार ही कार्यवाही करते हैं ।

मैं यह और बता दूं कि गोआ के लै० गवर्नर इस समय दिल्ली में हैं और सम्भव है कि हम इस मामले पर उन से आगे चर्चा करें ।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने कहा है 'सम्भवतया' वे इस पर चर्चा करेंगे । 'सम्भवतया' तो कोई उत्तर नहीं है । क्या वे इस पर कोई चर्चा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में उनका निश्चित विचार नहीं है कि वे बातचीत करेंगे अथवा नहीं । इसलिये उन्होंने कहा है कि यह सम्भव हो सकता है कि वे इस मामले पर चर्चा करें ।

श्री हरि विष्णु कामत : बिना विभाग के मंत्री, वस्तुतः उप-प्रधान मंत्री, का भी इस बारे में कोई निश्चित विचार नहीं है ?

श्री जोकीम आल्वा : जनसंख्या का एक भाग ऐसा है जिसका कि सामाजिक स्तर बहुत ही नीचा है और जो कुंडी लोगों तथा गोदी लोगों के नाम से विख्यात है, और जिसमें हिन्दू तथा ईसाई दोनों ही धर्म के लोग हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन लोगों में से भी कोई विधान सभा के लिये चुन लिया गया है और यदि उन में से कोई नहीं चुना गया है तो क्या उनके हित को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न राज्यों में नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में हमेशा मुख्य मंत्री की ही सिफारिश को स्वीकार किया जाता है और यदि हां, तो क्या इस मामले में भी मुख्य मंत्री द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ही सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी तक तो हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वास्तव में उसमें कुछ सार है परन्तु फिर भी इस मामले की जांच की जानी है और मुख्य प्रश्न कमजोर जनसमुदाय को प्रतिनिधित्व देने का है । यदि प्रस्ताव ऐसे ही हुए और हमने उन लोगों को नामनिर्देशित करना आवश्यक समझा तो अवश्य ही हम ऐसा करेंगे ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या इन नामनिर्देशनों में महिलाओं और गोआ राज्य-क्षेत्र के लोगों के अन्य कमजोर भागों को भी प्रतिनिधित्व देने का विचार सरकार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

एक माननीय सदस्य : महिलायें कोई कमजोर अंग नहीं हैं ।

तिब्बती शरणार्थी

*४६६. श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कितने तिब्बती शरणार्थी सीमा पार करके भारत आये ;

(ख) इस समय भारत में कितने तिब्बती शरणार्थी हैं ; और

(ग) उनमें से कितने पुनः बसाये जा चुके हैं तथा कहां-कहां पर ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) २३४ ।

(ख) ३७,५०० ।

(ग) ६,१०० शरणार्थियों को मैसूर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और नेफा में बसाया जा रहा है । १३,००० और अस्थायी रूप से निर्माण कार्यों पर लगे हुए हैं । २,००० लामा अपने धर्म और धार्मिक कृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Due to our bad relations with China, do Government propose to recruit them in our Army ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Was it not possible to rehabilitate them at any cool place other than the Himalayan region and had the question of border security been also taken into consideration at the time of their rehabilitation ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इन लोगों को किन्हीं अन्य कामों में लगाया जा सकता था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन: हम ने उपयुक्त स्थानों के बारे में जांच की थी और जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि न तो हम . . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि माननीय मंत्री द्वारा बताये गये कार्यों के अलावा भी किन्हीं अन्य कामों पर विचार किया जाये ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या तिब्बती शरणार्थियों में चीनी जासूस भी पकड़े गये थे तथा यदि हां, तो शरणार्थियों के भेष में इन लोगों को तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने के रोकने से लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इन शरणार्थियों की बड़ी सावधानी से जांच कर ली गई थी तथा ऐसा व्यक्ति पाये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या सरकार का विचार और तिब्बती शरणार्थियों को भारत में आने देने से रोकने का है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : न तो हम उनको बुलाते हैं और न उनको रोकते हैं । वे वहां की कठिन स्थिति के कारण यहां आते हैं ।

श्री महेश्वर नायक : पुनर्वास के व्यय का कितना प्रतिशत भारत सरकार वहन करती है तथा कितना प्रतिशत स्वयं शरणार्थी करते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : भारत सरकार पूरा व्यय करती है।

श्री रंगा : ७०००—९००० जो अन्य व्यक्ति हैं उनको पुनः बसाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार की यह नीति है कि जो सीमा पार कर के आना चाहे उसको न रोका जाये।

अध्यक्ष महोदय : केवल पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जिनको बसाया नहीं गया है वह कैम्पों में हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या हाल में ही प्रकाशित इन समाचारों में कोई सत्यता है कि चीनी तिब्बतियों का पुनः उत्पीड़न कर रहे हैं और हजारों भारत आना चाहते हैं और उन्होंने दलाई लामा को भी लिखा है। यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार दलाई लामा को विदेशों में जाने की अनुमति नहीं दे रही है जिससे वह चीनी उत्पीड़न तथा शरणार्थियों की भावनाओं के बारे में वहां पर बता सकें।

श्री रंगा : क्या ऐसा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : गत ६ महीनों में तिब्बत से लगभग २३४ शरणार्थी भारत आये हैं।

श्री रंगा : हम उत्तर नहीं सुन सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इस क्षेत्र में नया उत्पीड़न हुआ है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं नहीं जानती।

अध्यक्ष महोदय : वह यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार की यह नीति है कि दलाई लामा को बाहर न जाने दें और दूसरों से सहायता न लेने दें।

श्री हरि विष्णु कामत : विदेशों की जनता को स्थिति बताने के लिये।

बिना विभाग के मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): तिब्बत के बारे में हम को प्रायः समाचार मिलते रहते हैं कि वहां पर रहने वाले तिब्बतियों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। वहां पर खाद्यानों तथा अन्य मामलों के बारे में आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। इसके परिणामस्वरूप तिब्बतियों को भारत, नेपाल अथवा अन्य क्षेत्रों में बाध्य हो कर आना पड़ रहा है।

दलाई लामा के बारे में भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उन्होंने भी हमारे द्वारा घोषित नीति के अनुसार ही काम किया है। उनके कार्यकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वह अपने स्वविवेक के अनुसार जो ठीक है वह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वह शरणार्थियों की देखभाल कर रहे हैं। उनका मुख्य काम शरणार्थियों को भारत सरकार से पर्याप्त धन तथा सुविधा दिलाना है।

श्री हरि विष्णु कामत : आपके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने इसका उचित उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने उनके विदेशों में जा कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने पर प्रतिबंध लगा रखा है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं समझता हूं कि दलाई लामा ने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु समाचारपत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं ।

Shri Kachhavaiya : May I know whether these refugees have been recruited in the Army and when they had been living in places with cold climate why they have not been settled in cold places?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं इसका उत्तर दे चुकी हूं । उनको सेना में भरती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । जहां तक उनको ठंडे प्रदेशों में बसाने का सवाल है । उन्हें वहां ही बसाया जाता है ।

Shri Rameshwaranand : When there is food scarcity in the country why these people are allowed to enter ? Further, may I know whether Government would ensure that there are no chinese spies among these refugees?

Mr. Speaker : Swamiji will kindly see to it that the questions which have already been answered are not put again.

श्री कपूर सिंह : इन शरणार्थियों को स्थाई तौर पर बसाया जा रहा है अथवा इस धारणा पर बसाया जा रहा है कि एक दिन ये लोग तिब्बत में वापस लौट जायेंगे ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : उनको यह सोच कर बसाया जा रहा है कि वह निकट भविष्य में तिब्बत वापस नहीं जा सकेंगे ।

श्री कपूर सिंह : निकट भविष्य में । मेरा यह प्रश्न नहीं था ।

Shri Yashpal Singh : What is the moral justification for rehabilitating those well-to-do Tibetans who arecoming to India when the peoples are being subjected to continued harassment by the Chinese there?

Shri Lal Bahadur Shastri : Perhaps the hon. Member does not know that the Tibetans, who are coming, are in a very pitiable condition. I have met them.

Shri Rameshwaranand : My question was whether it had been ensured by Government that those persons were not Chinese agents, for, in that event they were likely to spread trouble here.

Mr. Speaker : I would request the opposition to explain the position to Swamiji.

Shri Rameshwaranand : Sir, there is no need for you to say this. I have always obeyed your orders.

Mr. Speaker : He was not attentive when this question was answered. He is now repeating the same question. Should it be answered again?

सैनिक पुरस्कार

*४९७. **श्री यशपालसिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २२५ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में युद्धस्थल में वीरता दिखाने के लिए प्रतिरक्षा कर्मचारियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों का एक समान माप अपनाने में क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४७७/६४]

Shri Yashpal Singh : When Defence is the concern of the Central Government, why the question of military awards has been left to the discretion of the State Governments.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्य सरकारें स्वयं प्रश्न करना चाहती थीं । परन्तु उनमें समानता नहीं थी । विभिन्न राज्य पुरस्कार दे रहे थे तथा मुझे बताया गया था कि हमें एक समानता रखनी चाहिए । हमने इसलिये राज्य सरकारों से पूछा था ।

Shri Yashpal Singh : What is the uniform pattern prepared by Government of India to give those Military awards ?

Shri Y. B. Chavan : We have recommended the names of those persons who are entitled to get these awards.

कम्बोडिया की तटस्थता

\+

*४९९. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गो० महन्ती :
श्री मणियंगाडन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया की तटस्थता तथा क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये सरकार से कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार से औपचारिक रूप में नहीं कहा गया है । परन्तु इस संबंध में प्रिंस सिंहानूख से पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

(ख) १९६२ में लाओस में हुए सम्मेलन के आधार पर सम्मेलन करने के प्रस्ताव का सरकार ने स्वागत किया किया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस राज्य की तटस्थता की गारंटी के लिये लाओस के समान अन्तराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग अध्यक्ष साइप्रस के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रस्ताव है यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण किस प्रकार का है तथा उसका सरकार का क्या रवैया है ।

श्री दिनेश सिंह : ऐसा आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि सम्मेलन हुआ तो उसके निर्णयों पर यह आधारित होगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : प्रस्तावित सम्मेलन में किन देशों को आमंत्रित किया गया है तथा सम्मेलन किस स्तर पर होगा ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने यह नहीं कहा कि देशों को आमंत्रित करने का समय आ गया है । अभी तो प्रस्ताव है कि सम्मेलन होना चाहिए । पहले तो दूसरी बातों को स्वीकार करना है । आमंत्रित तो बाद में किया जायेगा ।

श्री वारियर : इस सम्मेलन में चर्चा के विषय क्या हैं तथा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : इसका पुराना इतिहास है । इसको कुछ शब्दों में बताना कठिन है । सम्मेलन का प्रश्न प्रिंस सिहानूख की सम्मेलन करने की इच्छा पर ही उठा क्योंकि इससे कम्बोडिया की एकता तथा तटस्थता की गारंटी दी थी ।

श्री गो० महन्ती : सम्मेलन बुलाने वाले कौन हैं ?

श्री दिनेश सिंह : प्रिंस सिहानूख ।

त्रिपुरा की सीमा

\+

*५००. श्री महेश्वर नायक :
श्री नाथ पाई :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कजरोलकर :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बिशनचन्द सेठ :
श्री धवन :
श्री कछवाय :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री यु० द० सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने त्रिपुरा सीमा पर खाइयां खोदना पुनः आरंभ कर दिया है जिससे सीमा क्षेत्रों की शांति तथा सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बंध में कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां । कुछ समय पहले हमें जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी फेनी नदी के किनारे पर खाइयां खोद रहे हैं । नवीनतम समाचारों से पता लगता है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने त्रिपुरा के सबरूम सबडिवीजन के ब्रजेन्द्रनगर तालुक के सामने फेनी नदी के दूसरे किनारों पर खाइयां खोदना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) जिला तथा सरकारी स्तरों पर पाकिस्तानी अधिकारियों को विरोध पत्र भेज दिया गया है । शांति तथा सुरक्षा बनाये रखने के लिये सीमा पुलिस दल की संख्या बढ़ा दी गई है ।

श्री महेश्वर नायक : क्योंकि पाकिस्तान युद्ध संबंधी तैयारियां कर रहा है इसलिये सरकार सीमा तथा उसके आस पास प्रतिरक्षा साधनों को शक्तिशाली बनाने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमने सीमा सुरक्षा सेनाओं को बढ़ा दिया है ।

श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि चीन और पाकिस्तान का समझौता होने के कारण ये कार्यवाहियों का महत्व बढ़ गया है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ऐसा कुछ समय से हो रहा है और यह फेनी नदी के नियंत्रण से संबंध में है ।

डा० मा० श्री अणे : क्या जिला स्तर पर किया गया विरोध पाकिस्तान सरकार को मिल गया है । क्या सरकार ने इसके बारे में जांच की है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : विरोध पत्र जिला स्तर तथा सरकारी स्तर पर भेजा गया है ।

श्री प्र० चं०बरुआ : त्रिपुरा तथा पूर्व पाकिस्तान के बीच सीमांकन के बारे में निर्माण कार्य किस स्थिति में है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे पास पूरा ब्योरा नहीं है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या पाकिस्तानियों का एक दल ११ दिसम्बर, १९६३ को त्रिपुरा में घुस आया और हमारे सीमांत गश्ती दल पर आक्रमण किया ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

Shri R.S. Tiwari : What action is being taken by Government to remove panic spread among the people on account of Pakistan digging trenches on our borders and concentrating her troops?

The Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) : Such things have been always there on the eastern and western borders by Pakistan and our police and army has faced them well. I am talking of the days we shall have to be on the alert and face them.

श्री च० का० भट्टाचार्य : श्रीमान् जी, मैं अपने प्रश्न के बारे में एक प्रार्थना करना चाहता हूं । जब मैंने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा तो मंत्री महोदया ने बतलाया कि उन्हें पूर्व सूचना चाहिये । परन्तु जब मैंने लोक सभा को इस प्रश्न की सूचना दी तो मेरा नाम अन्य माननीय सदस्यों के साथ जोड़ दिया गया है । वास्तव में मैंने इसी प्रश्न की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला माननीय सदस्य और मेरे बीच है । हम इसमें ध्यान देंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि खाइयां खोदे जाने के अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना में कोई चीनी जनरल भी है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : पाकिस्तान के बार-बार आक्रमण किये जाने को ध्यान में रखते हुए, क्या हमने पश्चिमी शक्तियों से इस प्रतिबंध को हटाने के लिये सरकारी स्तर पर कोई प्रयत्न किया है कि यदि पाकिस्तान से अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करनी हो तो हम आवश्यक होते हुए भी उनकी सैनिक सहायता को पाकिस्तान के विरुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह बात इस मामले से सम्बंधित नहीं है । यदि हमें पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा तो हम युद्ध करेंगे । यदि आवश्यक हुआ और हम विवश हुए तो हमें अपने जोर पर ही युद्ध करना होगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान हाल के इस समाचार की ओर गया है कि कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजन पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध करने के उद्देश्य से चीन में गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें कुछ खबरें मिली हैं। समाचारपत्रों में भी हमने समाचार पढ़े हैं ।

श्री हेम बरुआ : इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? उन्होंने बताया कि उन्होंने समाचार पढ़े हैं । मैंने भी समाचार पढ़े हैं । इस महत्वपूर्ण बात पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुयी है ? मैं देश के हित में यह बात जानना चाहता हूं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री: ये बातें बड़ी विचित्र और आश्चर्यजनक हैं; ऐसे समय ये आश्चर्य-जनक घटनायें हो रही हैं—और जो कि घटना अभी पाकिस्तान में हुयी है जब चीन के प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई वहां गये थे—"नाटो" और 'सेन्टो' के एक सदस्य देश पाकिस्तान ने किसी हद तक श्री चाऊ-एन-लाई के साथ गठबन्धन किया है । संभवतः यह उनके भारत से शत्रुता के कारण हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अधिक ऊंचाई पर रहने वाले जवान

*४८७. { **श्री बे० द० पुरी** : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी मैडिकल आफीसरों का यह निर्णय कि जवानों के अधिक ऊंचाई पर रहने का, उनके हृदय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्तिम है ; और

(ख) क्या इस सम्बंध में नमूने के तौर पर अध्ययन केवल किसी विशेष क्षेत्र में नियुक्त जवानों के बारे में ही किया गया अथवा उत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा के सभी अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर नियुक्त जवानों के बारे में किया गया ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क): जब कि परीक्षण जारी है, अब तक किये गये परीक्षण के आधार पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि यदि निर्धारित सावधानी बरती जाये, तो अधिक ऊंचाई पर भेजे गये जवानों के हृदय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता ।

(ख) अभी लद्दाख क्षेत्र में नमूने के तौर पर अध्ययन किये गये हैं । जहां कहीं सम्भव होगा, अन्य क्षेत्रों में भविष्य में अध्ययन किया जायेगा ।

श्रमजीवी तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

४९०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्डों ने काम शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड ने कार्य आरम्भ कर दिया है । गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड बना दिया गया है और यह शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Conference of Scientists

*491. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Bishanchander Seth :
Shri B. P. Yadava :
Shri Dhaon :
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an international conference of scientists was held at Udaipur in January, 1964 ;

(b) if so, the names of the countries which attended the conference ; and

(c) the subjects discussed therein ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) Yes. The 12th Pugwash Conference on Science and World Affairs was held at Udaipur from January 27 to February 1, 1964.

(b) and (c) A statement is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT. 2473/64].

मोटर परिवहन कामगार अधिनियम को लागू करना

*४९२. **श्री उमानाथ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१ लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसको किन राज्यों में लागू नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) और (ख) मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१ को अधिनियम की धारा १ की उपधारा (३) के अनुसरण में सभी राज्यों में १ अप्रैल, १९६२ से पूर्व लागू कर दिया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी से यह पता चलता है कि सभी राज्यों में अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) अधिनियम में राज्य सरकारों को नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। उनके मार्ग दर्शन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियमों का एक प्रारूप सेट तैयार किया गया था और वह विचारार्थ उनको भेजा गया था। इस अधिनियम की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं।

कोयला खान भविष्य निधि

*४९४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ को समाप्त होने वाली अवधि में कोयला खान भविष्य निधि के खाते में कितना धन जमा हो गया है ;

(ख) कितने कर्मचारी इस निधि में अंशदान कर रहे हैं ; और

(ग) निधि का किस प्रकार विनियोजन किया जा रहा है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन): (क) ३७,२४,८६,३०९.८१ रुपये।

(ख) वर्ष १९६२–६३ में ४,०९,९१० ।

(ग) निधि में जमा रकम को निम्नलिखित तरीके से केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूतियों में विनियोजित किया जाता है :

(१) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाणपत्र और प्रतिरक्षा जमा (इसमें राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र और ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र शामिल हैं)	२० प्रतिशत
(२) भारत सरकार की अन्य प्रतिभूतियां (राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांडों समेत)	८० प्रतिशत

नेफा के लिये विद्युत सम्भरण योजनायें

*४९८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में नेफा में विद्युत् संभरण करने के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा क्या वित्तीय उपबन्ध किए गए हैं ;

(ख) अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा लक्ष्य पूरे किए गए हैं ; और

(ग) यदि कुछ कमी रह गई है तो उसको पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) तृतीय योजना-काल में नेफा में १३०० किलोवाट बिजली पैदा करने के लिए ६० लाख रुपए का उपबन्ध किया गया है ।

(ख) दिसम्बर, १९६३ तक ३६७ किलोवाट बिजली पैदा करने पर ६.९३ लाख रुपए व्यय हुए ।

(ग) जल-विद्युत क्षेत्र में पहले सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किये जाने हैं । ये प्राथमिक सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं और अब पृथक् पृथक् योजनाओं पर कार्यवाही करना संभव हो सकेगा । उपकरणों के आयात के लिये प्राथमिक विदेशी मुद्रा की समस्या को भी हल कर लिया गया है क्योंकि अब देशी सेटों को प्राप्त किया जा रहा है ।

टांगानिका में विद्रोह

*५०१. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० जनवरी, १९६४ की अथवा उसके आसपास टांगानिका में भारतीयों समेत सभी एशियाई राष्ट्रजनों की सम्पत्ति लूट ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी स्रोतों के द्वारा इस संबंध में सरकार को क्या सूचना मिली है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) सरकार समझती है कि इस लूट में भारतीय नागरिकों को बहुत थोड़ी हानि हुई लेकिन सारे एशियाईयों को कुल मिला कर हानि का अनुमान बहुत अधिक है । इस बारे में कोई सरकारी प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह हानि देश में अशांति और नागरिक हलचल के दौरान हुई और यह आन्दोलन विशिष्टतः एशियाइयों के विरुद्ध नहीं था । अब विधि तथा व्यवस्था सामान्य है और यह आशा की जाती है कि अन्य निवासियों की तरह एशियाइयों को अराजकता के विरुद्ध संरक्षण मिलेगा ।

राष्ट्रमण्डल युद्ध समाधि आयोग

९७६. **श्री राम हरख यादव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत राष्ट्रमंडल युद्ध समाधि आयोग का सदस्य है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के क्या उद्देश्य हैं ; और

(ग) युद्ध समाधियो के संधारण में भारत ने क्या योग दिया है और इन समाधियों की अनुमानित संख्या क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) यह आयोग पिछले दो विश्व युद्धों में मारे गए राष्ट्रमंडल देशों की सेनाओं के व्यक्तियों के समाधि स्थलो, समाधियों और स्मारकों के निर्माण और संधारण के लिए और इससे संबंधित अन्य कार्य के लिए जिम्मेवार है ।

(ग) वर्ष १९६३–६४ के पूर्व भारत का योगदान दो भागों में रहा :

(१) वर्ष १९१४–१८ के युद्ध में मारे गए व्यक्तियों के बारे में कुल व्यय का ०.६८ प्रतिशत ।

(२) वर्ष १९३९–४५ के युद्ध में मारे गए व्यक्तियों के बारे में कुल व्यय का १.७२ प्रतिशत ।

वष १९६३–६४ के बाद से भारत द्वारा कुल व्यय के २.१७ प्रतिशत के हिसाब से इकट्ठा योगदान किया जा रहा है । वर्ष १९६३–६४ में योगदान की राशि ३५,५८४ पौंड बैठती है जो रुपये में चालू विनिमय दर पर मासिक किस्तों में दी जा रही है । भारतीय सेना के सैनिकों की समाधियों की संख्या १०,८८३ है । इसके अतिरिक्त दोनों युद्धों में मारे गए भारतीय सैनिकों की संख्या ९४,९१६ है । जिनके नाम आयोग द्वारा विभिन्न स्मारकों पर अंकित हैं ।

जिन राष्ट्रमंडल युद्ध समाधियों का संधारण किया जा रहा है उनकी कुल संख्या ११,२७,२८४ है और स्मारकों पर अंकित कुल राष्ट्रमंडल युद्ध मृतकों की संख्या ७,६३,४३६ है ।

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में समितियां

९७७. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कुल कितनी समितियां और उप-समितियां काम कर रही हैं ; और

(ख) इन समितियों, उप-समितियों के सदस्यों की कुल संख्या क्या है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) ६६ ।

(ख) ८२६। ये आंकड़े उन सभी समितियों और उप-समितियों के बारे में हैं जो मंत्रालय के मुख्य सचिवालय, इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और इसके नियंत्रणाधीन संविहित संगठनों आदि में काम कर रही हैं।

Film on India Produced by German Geographer

978. Shri Siheshwar Prasad : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a German geographer has produced a cultural film in colour on India;

(b) if so, the main features of the film;

(c) when and in which languages the film will be exhibited in India ; and

(d) whether the above film producer has been given any kind of assistance by the Government of India?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) A German geographer has produced a documentary film in colour on "Modern Democracy in India".

(b) The film emphasises the positive aspects of democracy in India; its growth and progress.

(c) The film has been prepared for exhibition in schools and youth organisations in Germany.

(a) The Government of India have granted in this case the usual facilities given to foreign film producers in India.

Journals Published by the Children's Film Society

979. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that the Children's Film Society publishes some journals also;

(b) if so, the names of the journals and languages in which they are brought out; and

(c) the yearly expenditure incurred on each ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Publication of Newspapers

980. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of the newspapers which had to cease their publication during 1963 due to shortage of newsprint?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Government is not aware of any newspaper having ceased publication in 1963 due to shortage of newsprint.

मसूरी में प्रतिरक्षा संस्था

९८१. श्री भागवत झा आजाद : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूरी स्थित प्रतिरक्षा संस्था में कार्य-अध्ययन पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है ; और

(ग) पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा लांढौर (मसूरी) में स्थापित कार्य-अध्ययन संस्था में कार्य-अध्ययन सम्बन्धी मूल और अग्रिम पाठ्यक्रम किये जाते हैं।

(ख) कार्य अध्ययन के तरीकों के जरिये सभी उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिये प्रबन्ध के सभी स्तरों पर शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करके प्रतिरक्षा सेवा संस्थानों की कार्य-कुशलता बढ़ाना ।

(ग) पाठ्यक्रम ५ से १२ सप्ताह तक चलता है ।

आकाशवाणी में उच्चारण यूनिट

९८२. श्रीमती सावित्री निगम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आकाशवाणी के प्रसारण विभागों में अनाउन्सरों और न्यूज रीडरों का मार्ग-दर्शन करने के लिए विभिन्न भाषाओं में उच्चारण यूनिट स्थापित करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

संसद-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है बल्कि नये और कठिन नामों अथवा स्थानों के लिये पद-प्रदर्शक नोट जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्देश के लिये आकाशवाणी द्वारा तैयार किया गया एक उच्चारण शब्द-कोष सभी अनाउन्सरों और न्यूज रीडरों के प्रयोग के लिए रहता है ।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी

९८३. श्री यशपाल सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६४ को प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कितने असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या इन कर्मचारियों को सरकारी आदेश के अनुसार अर्ध-स्थापिता के प्रमाण पत्र दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रखदी जायेगी ।

अमरीका से रडार उपकरण

९८४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १६ दिसम्बर १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में वायु शिक्षा के लिए काम में लाये गये चल रडार उपकरणों की जगह अमरीका स्थायी रडार उपकरणों की सप्लाई शुरू हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी लागत का रडार उपकरण प्राप्त किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस विषय में जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है ।

अफ्रीका में भारतीय व्यापारी

९८५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीका में कुछ भारतीय व्यापारी चीनी माल का व्यापार कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनकी संख्या काफी ज्यादा है ; और

(ग) किन किन अफ्रीकी देशों में वे ऐसा व्यापार कर रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) से (ग). ज्ञात हुआ है कि इथोपिया, नाइजीरिया, कीनिया, और सेनेगल में कुछ थोड़े से भारतीय चीनी माल का व्यापार कर रहे हैं।

विज्ञान अकादमी

९८६. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक परामर्शदाता डा० भगवंतम् के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सरकार ने विज्ञान अकादमी से कभी परामर्श नहीं लिया है ;

(ख) क्या सरकार को वैज्ञानिक मामलों में परामर्श देने के लिए उसने सेवानिवृत वैज्ञानिकों को नियुक्त किया है, और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं । सरकार को मालूम हुआ है कि डा० भगवन्तम् का वक्तव्य सही तौर पर नहीं बताया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना के सेवानिवृत्त अफसरों के लिये पेंशनें

६८७. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को १९४२ के सेना आदेश (भारत) संख्या १४ के अधीन संकटकालीन कमीशन दिया गया है, उन्हें ३०० रुपये माहवार की पेन्शन मिल रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह अधिकतम दर भारत में सेना के लिए पेन्शन विनियमन, भाग २, १९४० के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में निर्धारित की गयी थी; और

(ग) क्या सरकार इन सेवानिवृत अधिकारियों को आवश्यक सहायता देने के लिए इन दरों को बढ़ाने की जरूरत पर विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवतन्राव चह्वाण) : (क) से (ग) १९४२ के सेना आदेश (भारत) संख्या १४ के अधीन संकटकालीन कमीशन प्राप्त जे० सी० ओज० को कैप्टन, लेफ्टेनेंट और सेकेन्ड लेफ्टेनेंट के मामले में ३०० रुपये प्रतिमास, मेजर के मामले में ४५० रुपये प्रति मास और लेफ्टीनेंट कर्नल के मामले में ६०० रुपये प्रति मास की अधिकतम रिटायरिंग पेन्शन मिल सकती है। अधिकांश ऐसी ज० सी० ओज० को ३०० रुपये माहवार की रिटायरिंग पेन्शन मिल रही है या नहीं इस बारे में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है और उस में पिछले २० साल के कागजात की छानबीन करनी पड़ेगी। इस में जितना समय और परिश्रम लगेगा वह परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

उपर्युक्त पेन्शन की अधिकतम दरें वही हैं जो भारत में सेना के लिए पेन्शन रेग्यू-लेशन्स, भाग १२ (१९४०) में नियमित भारतीय कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए दिये हुए हैं।

दूसरे सर्विस पेन्शनरों की तरह, वे जे० सी० ओज० जिन्हें १९४२ में सेना आदेश संख्या १४ के अधीन संकटकालीन कमीशन दिया गया था और जो सेवा निवृत्त हुए हैं, १०० रुपये माहवार या उस से कम पेंशन पाने वालों के मामले में १२·५० रुपये प्रति मास की अस्थायी वृद्धि और ७५ रुपये प्रति मास की पेंशन पाने वालों के मामले में ७·५० रुपये माहवार की तदर्थ वृद्धि और उन लोगों के मामले में जिनकी पेन्शन ७५ रुपये प्रति मास से अधिक हो लेकिन २०० रुपये प्रतिमास से अधिक न हो, १० रुपया माहवार की वृद्धि के हकदार हैं। सर्विस और संकटकालीन कमीशन प्राप्त अफसर को यों तो पेन्शन नहीं मिल सकती लेकिन इस श्रेणी के जे० सी० ओज० को जिन्हें संकटकालीन कमीशन दिया गया था, विशेष युद्धकालीन रियायत के तौर पर पेन्शन का हकदार बनाया गया था जैसा कि उस समय लागू नियमों के अधीन भारतीय कमीशन प्राप्त अफसरों को बनाया गया था। निश्चित तारीखों के बाद सेवा निवृत हुए या होने वाले नियमित अफसरों की पेन्शनों म समय समय पर किये गये परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होते और १९४२ के सेवा आदेश संख्या १४ के संकटकालीन कमीशन प्राप्त जे० सी० ओज० के पेन्शनों के लिए लागू नहीं होंगे ।

सिंग रेनी कोलियरीज कम्पनी

९८८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री १६ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी ने वेंकटेशरवानी के छठें और सातवें मोड़ पर अधिक अच्छी हवा के लिए दूसरे मेनवे की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त खान में जमीन के नीचे काम करने वालों के लिए हवा साधारणतया काफी है ; और

(ग) क्या यह सच है कि हवा तब तक काफी नहीं आयेगी जब तक कि खान में उतरने का एक रास्ता न बनाया जाये ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). जी, नहीं। लेकिन प्रबन्धकों ने ५०,००० घन फुट प्रतिमिनट की क्षमता का एक पंखा लगाया है । उससे हवा की हालत अच्छी हुई है और वह काफी समर्थ समझी जाती है ।

(ग) जी हां, रास्ता बनाया जा रहा है और वह पूरा होने पर हवा की हालत में काफी सुधार हो जायेगा । इसे देखते हुए मैनवे की व्यवस्था करना जरूरी नहीं मालूम होता ।

उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

९८९. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री अ० प्र० शर्मा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मजूरी बोर्डों के अन्तगत अभी जो उद्योग नहीं आते क्या उनके लिए और मजूरी बोड संभवत: स्थापित किये जाने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे उद्योग कौन कौन से हैं ; ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख). इंजीनियरी उद्योगों और बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । सूती कपड़ा उद्योग के लिए एक दूसरा मजूरी बोर्ड भी स्थापित करने का विचार है ।

स्वैच्छिक मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी गोष्ठी

९९०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालिकों के संगठन द्वारा आयोजित स्वैच्छिक मध्यस्थनिर्णय सम्बन्धी गोष्ठी ने सरकार को कोई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख), मंत्रालय में प्राप्त, गोष्ठी के निष्कर्षों के विवरण की प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०-२४७४/६४]** निष्कर्षों की जांच हो रही है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

९९१. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं का प्रशासन दिल्ली प्रशासन को सौंप देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में समितियां

९९२. **श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ के अंत में उन के मंत्रालय में कितनी समितियां काम कर रही थीं ;

(ख) ये समितियां कब से काम कर रही थीं ;

(ग) उन्होंने कितनी रिपोर्ट पेश कीं ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक समिति पर कितना व्यय किया गया ?

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (घ). जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-२४७५/६४]**

कोयला खान भविष्य निधि

९९३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि के लिए ब्याज की मौजूदा दर कितनी है जो कर्मचारियों के नाम जमा की जाती है ;

(ख) क्या ट्रस्टीज बोर्ड ने १९६४-६५ में ४½ प्रतिशत के भुगतान की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अंतिम निश्चय क्या हुआ है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) :

(क) ४½ प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(ख) जी हां ।

(ग) बोर्ड की सिफारिश मंजूर कर ली गयी है ।

'दिगुली कोलियरी' के सम्बन्ध में औद्योगिक पंचाट

९९४. **श्रीमती विमला देवी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता का दिनांक ११ अप्रैल, १९६२ का, पश्चिम बंगाल की दिगुली कोलियरी (कोयला खान) के संबंध में पंचाट , १९६२ का निदेश संख्या २२, लागू किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो देर के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय): (क) जी, नहीं ।

(ख) दिगुली कोयला खान के प्रबन्धकों ने संबंधित कर्मचारी को चार बराबर-बराबर किस्तों में १,४०० रुपये की रकम देना मंजूर कर लिया है । पहली किस्त निर्धारित तारीख को दी गयी थी । लेकिन बाद की किस्तें नहीं अदा की गयीं । उस समय तक, कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उस कोयला खान का प्रबन्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर के हाथ में आ गया । उसें भुगतान पूरा करने के लिए कहा गया है ।

एरनाकुलम् हवाई अड्डा

९९५. **श्री अ० ब० राघवन् :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरनाकुलम् का हवाई अड्डा किसी दूसरी जगह ले जाने की योजना है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई दूसरी जगह चुनी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो काम कब शुरू होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

MIGS ELECTRONICS FACTORY

996. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government have acquired land in Sanatnagar in Andhra Pradesh for setting up a MIGs Electronics Factory;

(b) if so, the area of land so acquired; and

(c) when the factory would be set up?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Action is being taken for acquiring land in Sanatnagar for setting up a factory for manufacturing Electronic equipments for MIG aircraft;

(b) The requirement of 300 acres of land to be acquired, has been projected to the State Government;

(c) The project report is under consideration of the Government. The construction of the factory is expected to commence at an early date.

अखबारी कागज के कोटे का नियतन

९९७. **श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में कितनी मासिक पत्रिकाओं को अखबारी कागज का कोटा दिया गया ;

(ख) वह किस आधार पर दिया जाता है; और

(ग) १९६३–६४ में कितनी मासिक पत्रिकाओं को कोई कोटा नहीं दिया गया और उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) मासिक पत्रिकाओं और अन्य नियतकालिकों को जिस आधार पर अखबारी कागज दिया जाता है वह दिनांक ३० मार्च, १९६३ की सार्वजनिक सूचना संख्या २५—आई टी सी (पी एन)/६३ और दिनांक १६ अक्टूबर, १९६३ की सूचना संख्या १३२—आई टी सी (पी एन)/६३ में बताया गया है ।

पूर्व पाकिस्तान में साम्प्रदायिक बंगों में मारे गये भारतीय

९९८. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान में अभी तक हाल के साम्प्रदायिक उत्पातों मे कोई भारतीय राष्ट्रजन मारे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). भारतीय राष्ट्रजनों से माननीय सदस्यों का आशय पूर्व पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों से है ।

पूर्व पाकिस्तान के साम्प्रदायिक दंगों में हताहतों का सभी उपलब्ध ब्यौरा गृह-कार्य मंत्री द्वारा ११ फरवरी, १९६४ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया हुआ है । सरकार को इससे आगे कोई जानकारी नहीं है ।

सिंगरेनी कोलियरीज में कैन्टीन

९९९. **श्री नम्बियार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुद्रपुर, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी में ८ और ११ मोड़ पर खान नियम, १९५५ के नियम संख्या ६४ मे उल्लिखित रूप में कोई कैन्टीन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में खानों के मुख्य निरीक्षक क्या कदम उठा रहे हैं ; और

(ग) इसकी व्यवस्था संभवत: कब तक हो जायेगी ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सैनिक और नौसैनिक बैंड को किराये पर लेना

१०००. { **श्री दाजी :**
श्री वारियर :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एन० एस० विक्रान्त का नौसैनिक बैन्ड १६ फरवरी, १९६४ को बंबई में चौपाटी में मौरल रिआर्मामेंट रैली में शामिल था; और

(ख) क्या ग़ैर-सरकारी संगठन द्वारा सैनिक और नौसैनिक बैन्ड्स को किराये पर लेने की प्रथा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) जी हां ।

(ख) सेवा की आवश्यकता को देखते हुए बैन्डस् को स्कूल, क्लब और दूसरी मुनाफा न करने वाली संस्थाओं जैसे संगठनों से ग़ैर-सरकारी काम मंजूर करने की अनमति है । उन्हें साम्प्रदायिक या अन्य प्रकार के जलूसों या धार्मिक उत्सवों या राजनैतिक प्रदर्शनों मे हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है । मौजूदा मामले में नौसैनिक बैन्ड को किराये पर लिये जाने के बारे में और आगे छान बीन की जा रही है ।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों के बारे में
RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : ६ मार्च को एक पाकिस्तानी हैलीकाप्टर के उतरने के बारे में मुझे कई स्थगन प्रस्तावों एवं ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैं इस विषय में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : प्राप्त सूचना के अनुसार ६ मार्च को पाकिस्तान का एक हैलीकाप्टर मंगाराम पुर, पश्चिम बंगाल, में उतरा । वह हैलीकाप्टर दो बार

पाकिस्तान की सीमा से ८ मील इधर की ओर उतरा । ऐसा मालम होता है कि वह गलती से हमारे क्षेत्र में उतर गया था । जिन लोगों ने स्वयं उस हैलीकाप्टर को देखा, उनके अनुसार, उस में तीन व्यक्ति थे और उस पर "पाकिस्तान इन्टर्नेशनल" शब्द अंकित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हैलीकाप्टर पाकिस्तान असैनिक एयरलाइन्स का था । इसलिये यह मामला जिला पुलिस द्वारा ही निबटाया जायेगा । इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री समझते हैं कि माननीय सदस्यों का यह आरोप ठीक है कि इस मामले में सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रही हैं, और कि वह देश के राज्य क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकती ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्पष्टतः इस में सरकार की असफलता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । राडार पर भी इस हैलीकाप्टर संबंधी सूचना नहीं मिल सकी चूंकि बहुत नीचे उड़ान कर रहा था । हमारे सशस्त्र बलों द्वारा उस के आने की प्रत्याशा भी नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान द्वारा वायु विनियमों का उल्लंघन किया गया है और हमें इस बारे में कार्यवाही करनी है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं ने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की अनुमति लीजिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वह कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जायें . . . इनकी संख्या ३३ है । इसलिये अनुमति नहीं दी जाती ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(१) दिल्ली में 'सी' बिजलीघर का बन्द हो जाना

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): मैं सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में 'सी' बिजली घर का बन्द हो जाना ।"

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : यह 'सी' बिजलीघर में लगा हुआ संयंत्र जापान की मित्सुबिशि शोजा कैशा लिमिटेड से मंगाया गया था और सितम्बर,

१९६३ में चालू किया गया । ३ मार्च, १९६४ को इस के टर्बाइन के बेयरिंग संख्या २ में कुछ गड़बड़ हुई जो बाद में ठीक हो गई । इसी प्रकार ४ मार्च को भी कुछ गड़बड़ हुई परन्तु कुछ मिनट पश्चात् संयंत्र ठीक प्रकार काम करने लगा । ५ मार्च को पुनः मशीन में गड़बड़ पाई गई जिस के कारण संयंत्र को बन्द कर दिया गया । जापान के सार्थ के साथ हुए संविदे के अनुसार तीन वर्ष के अन्दर अन्दर यदि संयंत्र में खराबी हो जाय तो या तो उसे ठीक करना होगा अथवा उस की स्थान पर नया संयंत्र देना होगा । यह इस शर्त पर होगा यदि उनकी मशीनरी में कोई त्रुटि पायी जाय । तदनुसार, दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम ने जापानी इंजीनियरों को मशीन का निरीक्षण कराने के लिये कहा ।

"सी" बिजली घर में संयंत्र के खराब होने की सूचना पाते ही मैं ने पंजाब के विद्युत् तथा सिंचाई मंत्री से २० एम० डब्ल्यू अतिरिक्त भाखड़ा विद्युत् देने के लिये अनुरोध किया, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस के पश्चात् मैं उसी दिन शाम को सम्बद्ध बिजली घर में गया और स्थिति की जांच की। सम्बद्ध अधिकारियों से विद्युत् का प्रबन्ध करने सम्बन्धी चर्चा भी की गयी।

इस समय दिल्ली की विद्युत् संबंधी मांग १०५ एम० डब्ल्यू है जिन में से ६५ एम० डब्ल्यू भाखड़ा से सम्भरित होती है और शेष स्थानीय संसाधनों से। 'सी' बिजली घर की विद्युत अलग है । इसलिये इस के बगैर भी काम चल सकता है । परन्तु हम चाहते हैं कि हमारे पास विद्युत रक्षित रहे। इसी उद्देश्य से पंजाब से अतिरिक्त विद्युत् के लिये अनुरोध किया गया ।

उस अतिरिक्त विद्युत का प्रयोग करने के लिये सिविल लाईन्स और 'सी' बिजली घर की ३३ के वी लाईन का निर्माण हो जाना आवश्यक है । यह निर्माण कार्य आगामी चार दिन में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

संयंत्र विक्रेताओं ने बचन दिया है कि संयंत्र तुरन्त ठीक कर दिया जायगा । उन का एक प्रतिनिधि पहुंच गया है । दो अन्य विशेषज्ञ आने वाले हैं।

मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कि त्रुटि को ढूंढ़ने और उस से ठीक करने के लिये यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जा रही है । हमारी विद्युत् सम्भरण संबंधी स्थिति सन्तोषजनक है और पूरी विद्युत् सम्भरित की जाती रहेगी ।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि इस बिजली घर के आरम्भ करने में छः मास का विलम्ब हुआ था, और पिछले छः मास में उस की केवल दो-तिहाई क्षमता प्रयुक्त हुई है ? और इसलिये इस मामले की जांच के लिये क्या सरकार का विचार एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का है ?

डा० कु० ल० राव : निर्धारित तिथि के १३ दिन पश्चात यह बिजली घर चालू हो गया था । इस का पूर्णतः उपयोग इसलिये नहीं किया गया चूंकि हमें भाखड़ा की विद्युत सस्ती पड़ती है । इसलिये इसका प्रयोग किया ही नहीं गया । इसलिये समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Is it a fact that the Government knew before hand that the Station was going to fail? If so, whether any arrangement was made in regard thereto?

डा० कु० ल० राव : सरकार को इस बारे में पहले से कुछ भी मालूम था।

श्री महेश्वर नायक (म्यूरभंज): क्या यह सच है कि जापानी इंजीनियरों ने भारतीय इंजीनियरों को टर्बाइन्स के बारे में विशेष ज्ञान नहीं कराया जिसके कारण वह त्रुटि नहीं समझ सके?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैं ने बताया यह संयंत्र इस शर्त पर लिया गया था कि ३ वर्ष तक सार्थ शुल्क रहित सेवा उपलब्ध करेगा। वास्तव में उन्होंने कार्यवाही तुरन्त ही की है।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Has such machinery been installed anywhere else in the country? And if so, have we got, technicians to carry out repairs in them?

डा० कु० ल० राव : कुछ विशेषज्ञ तो हमारे पास हैं। परन्तु विद्युत सम्भरण के विस्तार की दृष्टि से हम आगामी योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने संबंधी कार्यवाही कर रहे हैं।

ध्यान दिलाने वाले सूचना के बारे में

RE: CALLING ATTENTION NOTICE

श्री हिरि विष्णु कामत (होंशगाबाद): जो ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव अन्य विषय पर था उस का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : वह ५ बजे लिया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मन्त्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण

संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(१) विभिन्न अधिवेशनों में जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला निम्नलिखित विवरण :—

(एक) अनुपूरक संख्या २, छठा सत्र, १९६३
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी० २४६५/६४]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ पांचवां सत्र, १९६३
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४६६/६४]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ८ चौथा सत्र, १९६३
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४६७/६४]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १४ दूसरा सत्र, १९६२
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४६८/६४]।

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १७ पहला सत्र, १९६२
(तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४६९/६४]

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १० सोलहवां सत्र, १९६२
(दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४७०/६४]

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या १३ चौदहवां सत्र, , १९६१
(दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० संख्या २४७१/६४]

भारत प्रतिरक्षा (दूसरा संशोधन) नियम

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :

मैं (२) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत दिनांक ३ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८१ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, १९६४ की दुएक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४७२/६४]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शियोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

याचिकाओं का उपस्थापन

PRESENTATION OF PETITIONS

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल): मैं निम्नलिखित याचिकायें उपस्थापित करता हूं :—

(१) अखिल भारतीय निःशुल्क तथा सस्ते आवास योजना के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका ।

(२) बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ के पानी के लाभप्रद उपयोग के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका ।

बौड़पुर स्टेशन पर मद्रास हावड़ा एक्सप्रैस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: ACCIDENT TO MADRAS-HOWRAH EXPRESS AT BAUDPUR STATION

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : पिछली रात ११.२५ बजे, गाड़ी संख्या ३८ डाऊन मद्रास-हावड़ा एक्सप्रैस, जो शनिवार सुबह मद्रास से चली थी, बौड़पुर पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई । अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार ७ व्यक्ति मारे गये और ३६ अन्य घायल हुए । सूचना प्राप्त होते ही चिकित्सा डिब्बों के साथ सहायक गाड़ियां भद्रक एवं खुरदा रोड़ से घटना-स्थल पर भेज दी गयी थीं । महा प्रबन्धक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंचे। रेलवे बोर्ड के एक सदस्य भी वहां गये हैं। मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रहात् अदायगी का प्रबन्ध किया जा रहा है । अतिरिक्त आयुक्त, रेलवे सुरक्षा, कलकत्ता, कल इस दुर्घटना की परिनियत जांच कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने संबंधी उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैं ने बताया है जांच हो रही है और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ।

श्री हेम बरुआ : (गौहाटी) : माननीय उपमंत्री ने कहा कि दुर्घटना-स्थल से अभी मलवा साफ नहीं किया गया । क्या इस का अर्थ यह लगाया जाये कि मृत एवं घायल व्यक्तियों संबंधी आंकड़े अन्तिम नहीं हैं।

श्री शाहनवाज खां : जी, हां । हो सकता है यह अन्तिम न हों ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Is it a fact that the accidents occur due to non-replacement of the old railway lines which are not fit for the new engines?

Shri Shahnawaz Khan: No, this is not the cause of the accident.

श्री महेश्वर नायक (मयूरगंज) : क्या इस एक्सप्रैस गाड़ी के लिए लाईन साफ नहीं थी जिस के कारण वह उस लाईन पर चली गयी जहां माल गाड़ी खड़ी थी ?

श्री शाहनवाज खां : यह बात तो स्पष्ट है। इस दुर्घटना के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी है परन्तु इस बात का निर्णय जांच द्वारा ही होगा।

सामान्य आय व्ययक, सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—Contd.

श्री भागवत झा आजाद : (भागलपुर) : इस आय-व्ययक में सरकारी उपक्रमों की निन्दा करते हुए कहा गया है कि उन्हें अधिक लाभ दिखाना चाहिए। परन्तु यह बात सिद्धान्त की दृष्टि से गलत है। यदि वित्त मंत्री चाहते हैं कि सरकारी उपक्रम लाभ दिखायें, तो प्रत्येक उपभोक्ता उद्योग को सरकारी क्षेत्र में लेना चाहिए। परन्तु सभी सरकारी उपक्रमों से यह आशा करना कि वह लाभ दिखायें अनुचित है। मुझे याद है कि हिन्दुस्तानी एंटीबायोटिक्स द्वारा लागत से काफी अधिक मूल्यों पर पेनिसिलीन बेचे जाने पर लोक लेखा समति ने कहा था कि इस अत्यावश्यक औषधि पर इतना लाभ कमाना अनुचित है। इसी प्रकार समिति ने उर्वरकों के बारे में भी कहा था। मेरा कहना यह है कि सभी सरकारी उपक्रमों से यह आशा करना कि वह अधिक धन कमायें अनुचित है। वास्तव में सरकारी क्षेत्र की जो संरक्षण दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा। आय-व्ययक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में हितकर बातें नहीं कही गईं।

इस आय-व्ययक में गैर-सरकारी उपक्रमों के हित को ही समक्ष रखा गया है। उन के लिए कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं। विकास छूट दी गई है और कई प्रकार के कर भी हटा लिये गये हैं।

आम जनता के लिये आय-व्ययक में कोई राहत नहीं दी गयी। यह कहना गलत है कि निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की छूट दी गई है। वास्तव में १५,००० रुपये पाने वालों को ही राहत दी गई है। अनिवार्य जमा योजना वापस लेने से कोई विशेष राहत नहीं मिलती चूंकि यह रकम कुछ समय के लिये ही ली जा रही थी। जो रकम जमा हो चुकी है उसे वापस देना चाहिये।

वित्त मंत्री ने एकाधिकार सम्बन्धी आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि आज कौन नहीं जानता कि देश में एकाधिकार बढ़ रहा है। स्वयं औद्योगिक नीति संकल्प में धन के केन्द्रण की ओर निर्देश किया गया था। उस के पश्चात् विवियन बोस आयोग प्रतिवेदन में और समवाय विधि प्रशासन प्रतिवेदन आदि में भी यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। परन्तु इस आय-व्ययक में किसी ऐसी कार्यवाही की चर्चा नहीं की गयी जिससे कि यह नरभक्षी खत्म किये जा सकें।

भुवनेश्वर और जयपुर में छः मुख्य मंत्री बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। और सात राज्यों के कांग्रेस प्रधान भी कह चुके हैं कि एकाधिकार को खत्म करने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य है। इसलिये सरकार को बैंकों का राष्ट्रीयकरण अविलम्ब कर देना चाहिये। देश के लोग आज महसूस करते हैं कुकि कुछ एक बैंक देश की अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण जमाये बैठे हैं और इस बुराई को दूर करना वांछनीय है। केवल भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों का संघ तथा कुछ अन्य बड़े बड़े पूंजीपति ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं।

देश की पूंजी कुछ हाथों में केन्द्रित है। केवल समवायों के १० चुने हुए ग्रुपों के पास ८७६ समवायों के अंश हैं। सीमेंट के ४५ प्रतिशत उत्पादन का नियंत्रण एक ही

ग्रुप के हाथ में है। इसी प्रकार औषधियों के २३ से ३२ प्रतिशत उत्पादन का नियंत्रण भी एक ही ग्रुप के हाथ में है। मशीनों और पंखों आदि का निर्माण-कार्य भी ८८ प्रतिशत तक एक ही वर्ग के हाथ में है। देश का ७५ प्रतिशत धन इन व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित है। इस का अर्थ यह है कि ८३ प्रतिशत ग्रामीण जनता के पास ७३ प्रतिशत धन है और १७ प्रतिशत नगरों की जनता के पास ३० प्रतिशत धन है। हम चाहते कि वित्त मंत्री इस धन के केन्द्रण को दूर करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करें। परन्तु खेद का विषय है कि आय-व्ययक में किसी ऐसी कार्यवाही का उल्लेख नहीं पाया जाता।

मैं विदेशी विनियोजन के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु देश में साम्य पूंजी को नियंत्रण देना बहुत अहितकर बात होगी। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने की बात भी गलत है, चूंकि हमारे देश में पूंजी लगाने से विदेशियों को अधिकतम लाभ होता है। वह पूंजी यहां पर अवश्य लगायी जायगी चूंकि यहां पर पूंजी लगाने से उन को लाभ होता है।

इस आय-व्ययक में कृषि के लिये उपयुक्त उपबन्ध नहीं है। आप उद्योग के समान कृषि के लिये भी एक विकास बैंक क्यों नहीं बनाते ? कृषि की मांग १,००० करोड़ की है परन्तु उस के लिये केवल २०० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि की आवश्यकताओं को जुटाने सम्बन्धी उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई है।

कृषि और उद्योग में बहुत असन्तुलन है। उद्योगों को सभी प्रकार की रियायतें और प्रोत्साहन देने का अर्थ यह है कि धन का केवल कुछ हाथों में केन्द्रण होगा और आम जनता जो अधिकतर कृषि पर ही निर्भर करती है गरीब ही रहेगी और पिसती जायगी। दक्षिण बिहार में उद्योग स्थापित किये जाने के पश्चात् भी निर्वाह स्तर बहुत चिन्तनीय है। इस का कारण यह है कि कृषि के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा कहना है कि यह बात लोकतंत्रात्मक समाजवाद के हित में नहीं होगी। लोकतंत्र के सिद्धान्त को समाजवाद के साथ जोड़ना आवश्यक है। परन्तु इस आय-व्ययक में कुछ व्यक्तियों के हित की बात सोच कर आम जनता के हित की अवहेलना की गई है। आम जनता का हित इसी में है कि कृषि और किसान को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले।

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल) : प्रस्तुत आयव्ययक की मुख्य विशेषता यह है कि यह जटिलताओं से भरा आयव्ययक है। इसलिये स्वभावतः विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों ने अपने दल के दृष्टिकोण से इस की आलोचना की है। किन्तु इन आलोचनाओं के बावजूद भी सभा तथा सभा के बाहर जन साधारण द्वारा इस का स्वागत किया गया है। इस स्वागत का मुख्य कारण वित्त मंत्री द्वारा कम आय वाले वर्ग को कुछ राहत देना है। वित्त मंत्री जी कुछ दिनों से इस वर्ग की समाज सुरक्षा के उपायों के लिये कार्य कर रहे हैं। अनिवार्य जमा योजना को समाप्त करना तथा कम आय वालों के कर के बोझ को कम करना सराहनीय बात है।

आज जब भारत के लिये चीन और पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है, आयव्ययक में सुरक्षा पर व्यय किये जाने वाली धनराशि में किसी प्रकार की कमी नहीं की जानी चाहिये। आज देश की

अर्थ व्यवस्था का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। हमें राष्ट्रीय आय की असन्तोषजनक वृद्धि में प्रगति लानी है। इसके लिये हमें उपभोग में कमी कर के देश की बचत को उत्पादन यथासंभव बढ़ाने के लिये उपयोग में लाना चाहिये। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में लगाई गई पूंजी से उचित आय प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जायें ताकि शीघ्र ही ये उपक्रम अपनी आय स्वयं अपने विकास कार्यों में लगा सकें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ गैर-सरकारी क्षेत्र का भी विकास होना आवश्यक है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये गैरसरकारी क्षेत्रों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है।

आय व्ययक तैयार करते समय वित्त मंत्री महोदय ने देश के समाजवादी ढांचे के निर्माण को दृष्टि में रखा है। निगमित क्षेत्रों को दिये गये प्रोत्साहन से धन के केन्द्रीयकरण, सट्टेबाजी अपव्ययता आदि किसी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं है।

जहां तक विदेशी पूंजी का सम्बन्ध है, हमें इस समय अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये विदेशी पूंजी तथा प्रविधिज्ञों की बड़ी आवश्यकता है। इसलिये हमें विदेशी पूंजी को विशेष रूप से पूंजी सहभागिता के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि देश पर विदेशी ऋणों का और अधिक बोझ न पड़े। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने में हमारी मूल नीति पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

यद्यपि आयव्ययक में प्रस्तावित उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, किन्तु इन में से एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए इस पर जटिल उद्देश्यों को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये और इसके प्रस्ताव को पृथक रख कर नहीं अपितु संतुलित मिश्रित तथा बहु-प्रयोजनीय योजना के अंगों के रूप में विचार किया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि गैरसरकारी निगमित क्षेत्रों के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया गया है। किन्तु स्टाक एक्सचेंज की प्रतिक्रिया से इस बात की पुष्टि नहीं होती है। प्रस्तुत आयव्ययक में गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जो प्रोत्साहन दिये गये हैं उनसे देश के अधिकांश उपक्रम किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा पायेंगे। उदाहरणार्थ कपड़ा उद्योग एवं चीनी उद्योग को किसी प्रकार का प्रोत्साहन अथवा छूट नहीं दी गई है। अधिलाभ-कर समाप्त करने से जिन थोड़े समवायों को लाभ हुआ है वह उन से अधिकर और लाभांश पर कर के रूप में वसूल किया जायेगा। देश के अधिकांश उद्योग को प्रस्तावित आयव्ययक से किसी प्रकार की छूट तो नहीं दी गई है, अपितु उन्हें इस से कुछ हानि ही उठानी पड़ेगी। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि वर्तमान आयव्ययक प्रस्तावों के फलस्वरूप निगमित क्षेत्र को ११ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि सरकार के कोष में देनी पड़ेगी।

सरकार द्वारा उद्योगों को लिये गये प्रोत्साहनों पर उचित दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। उनके बारे में किसी प्रकार के प्रपंच की बात नहीं है। प्रोत्साहन देने का उद्देश्य अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से वांछित दिशा में उद्योगों को बढ़ावा देना है। वास्तव में पहली बार राजकोषीय साधन को, कुछ उन

चुने हुए उद्योग में धन लगाने के उद्देश्य से उपयोग में लाया गया है, जिन्हें प्राथमिकता दी गई है। देश के आर्थिक विकास के लिये उद्योगों का विकास आवश्यक है। इसीलिये समवायों को उनके द्वारा अर्जित लाभ को स्वयं अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये लगाने की अनुमति दी गई है। संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर लाभ कर के साथ साथ लाभांशों पर भी कर लिया जाता है।

वित्त मंत्री महोदय ने व्यय कर तथा मृत संपदा कर लगा कर आर्थिक विषमता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण तथा साहसिक कदम उठाया है।

मंत्री महोदय ने बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में चिन्ता प्रकट की है, किन्तु उन्होंने समस्या के हल के उपायों के बारे में कुछ नहीं बताया है, यद्यपि यह सच है कि वित्त मंत्री महोदय ने घाटे की अर्थ व्यवस्था कम से कम की है और जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया है। खाद्यानों क मूल्यों के साथ साथ अन्य उपभोग वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते हैं। इसलिये खाद्यानों के तेजी से बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।

आय-व्ययक में औद्योगिक क्षेत्र को कई प्रोत्साहन दिये गये हैं किन्तु कृषि की उपेक्षा की गई है। कम से कम कृषि के कामों में प्रयोग होने वाले डीजल तेल पर कुछ राहत दी जानी चाहिये। यह अच्छी बात है कि प्राथमिकता देने के लिये चुने गये उद्योगों में उर्वरक और ट्रैक्टर उद्योग भी शामिल हैं। यह अधिक अच्छा होता यदि कृषि संबंधी उद्योगों, जैसे कृमि-नाशक, कीट नाशक, कृषि में प्रयोग किये जाने वाले औजार आदि बनाने के उद्योग, को चुनी हुई सूची में शामिल किया जाता।

यह सर्व विदित है कि बिक्री कर का व्यापक रूप में अपवंचन किया जाता है। यह उचित समय है जब कि बिक्री कर के स्थान पर कोई और कर लगाया जाना चाहिये जो नियंत्रण योग्य स्थान पर उत्पादन पर लगाया जा सके।

यह निराशाजनक बात है कि सरकार का ध्यान परिवार नियोजन की ओर कम गया है। वर्ष १९५१ से आज तक इस पर कुल १३.७१ करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। जो प्रति व्यक्ति ३ नये पैसे प्रति वर्ष की औसत है। सरकार को इस के लिये पर्याप्त आवंटन के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि आवंटित धनराशि अप्रयुक्त न रहे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : सत्तारूढ़ दल के सदस्यों समेत सभी दलों के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार अपनी सुविदित राष्ट्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों से दूर होती जा रही है। इस आयव्ययक की मुख्य बात यह है कि सरकार अपनी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन आश्वयकताओं की उपेक्षा कर रही है।

प्रस्तुत आयव्ययक में पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गृह-कार्य मंत्री का सभा में यह कहना निराशाजनक है कि हम शरणार्थियों के लिये भारत के द्वार खुले नहीं रख सकते हैं। तथा प्रव्रजन प्रमाणपत्र के मामले में उदारता नहीं दिखाई जा सकती। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से पश्चिम बंगाल क्षुब्ध है तथा सारे भारत को इस समस्या के प्रति सहानुभूति है। सरकार को इन लोगों के भारत आने पर रोक नहीं लगानी चाहिये। वित्त मंत्री महोदय अपने इस आश्वासन को दोहरायें कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उचित वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। शरणार्थियों को उन के पुनर्वास का उचित प्रबन्ध किये जाने तक दण्डकारण्य तथा सुन्दरबन में बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। हमें पाकिस्तान के रवैये का विश्व के सामने भंडाफोड़ करना चाहिये। पूर्वी पाकिस्तान के भाइयों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि, हमारे पास जो कुछ है, उस में उन का भी भाग है।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

पिछले एक दो वर्षों से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं। किन्तु सरकार ने इन्हें बढ़ने से रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार वस्तुओं के विक्रय पर नियंत्रण नहीं रखना चाहती है जिस का परिणाम यह होता है कि सरकार आर्थिक विकास के लिये चाहे कोई राजकोषीय नीति अपनाये वह निर्थरक सिद्ध होती है। सरकार को मूल्यों को रोकने के लिये कोई समुचित योजना बनानी चाहिये ।

प्रस्तुत आयव्ययक में विदेशी पूंजी को प्रात्साहन दिया गया है। सरकार निरन्तर नये उपक्रमों में अधिकांश विदेशी सहभागिता के लिये तैयार दिखाई दे रही है। ऐसे समय में जब हमारे देश में इन्जीनियरी, डिजाइन तथा निर्माण संबंधी संस्थाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि विदेशों से ली गई सेवाओं को प्रस्थापित किया जा सके, इस प्रकार विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देना सराहनीय नहीं है। विदेशी धन नियोजक, उन्हें समय समय पर दी गई रियायतों से संतुष्ट नहीं हैं तथा और अधिक रियायतें चाहते हैं विदेशी पूंजी के साथ उस देश का राजनीतिक स्वार्थ भी छिपा रहता है जो हमारे देश के लिये भयानक सिद्ध हो सकता है। विदेशी पूंजी पर होने वाले लाभ के रूप में भारत का धन विदेशों को जाना अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। तथा भारत में विदेशी पूंजी लगाने के बारे में सावधानी से कार्य करना चाहिये।

अमरीका ने पी० एल० ४८० के अन्तर्गत जो रुपयों की विशाल निधि स्थापित की है उसे भारत में एकाधिकारों की जड़ मजबूत करने तथा अमरीकी और भारतीय व्यापारियों के सम्पर्क को दृढ़ करने के लिये प्रयोग किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत हम खाद्यानों का निर्यात कर के लोगों की वर्तमान भूख को तो मिटा सकते हैं। किन्तु यह खाद्य समस्या का स्थायी हल नहीं कहा जा सकता है। सरकार को पी० एल० ४८० जैसी योजनाओं के हमारी वर्तमान तथा भावी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करनी चाहिए। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विदेशों के साथ किये गये विभिन्न करारों के हमारे आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की भी जांच की जानी चाहिये। ये करार हम ने तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने, मशीनरी, ऋण आदि मंगाने तथा अपने भावी शोधन सन्तुलन में विदेशों के वित्तीय योगदान के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के साथ किये थे।

वित्त मंत्री द्वारा भुवनेश्वर अधिवेशन में बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रस्ताव को छः मुख्य मंत्रियों का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद भी स्वीकार न करना देश के हित की परवाह न करना है। देश के आर्थिक विकास के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है।

सरकार भारी करापवंचन को रोकने में असफल रही है। प्रशासनिक व्यवस्था में ढील आ गई है और चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। योजना संबंधी परियोजनाओं में संसाधनों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। देश में तस्करी और चोरबाजारी का बोलबाला है तथा लोगों का नैतिक पतन हो रहा है। योजनाओं के लक्ष्य की पूर्ति के लिये भ्रष्टाचार चोरबाजारी तथा तस्करी का अन्त करना होगा और लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत कर के उन का नैतिक उत्थान करना होगा। प्रशासन में कार्य कुशलता बढ़ानी होगी ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे सामाजिक लक्ष्य दूर और कठिन हैं। उन्हों ने जो आयव्ययक प्रस्ताव रखे हैं उस से वे और भी दूर और कठिन हो गये हैं। हमें स्वतन्त्र और प्रजातांत्रिक रूप से जीवित रहने के लिये अनिवार्य रूप से समाजवादी अर्थ व्यवस्था का सहारा लेना ही होगा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The levy on agriculture has increased 8-fold, but on the other hand agricultural production has gone down. 85 perc ent of the country's population lives on agriculture. Therefore, the farmers should have a major share in the Budget whereas a step-motherly treatment has been meted out to them in the Budget.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

The prices have risen abnormally but the farmers are not benefited by it. Electricity is not supplied to them at cheap rates. We have imported foodgrains worth Rs. 2,600 crores. If only Rs. 200 crores had been made available for agriculture we would have become surplus in foodgrains production. The Food Minister says that we would have to import foodgrains from abroad. When Government have become so inefficient they should hand over the reigns of Government to those who can deliver the goods to the people.

Government has failed to stop the menace of dacoits in Madhya Pradesh, even though a force of 25,000 policemen has been sanctioned to crush the dacoits. The State Governments have not been able to provide enough security to the people.

There is complete darkness in big bazars like Chandni Chowk and Connaught Place in the Capital of India after 8. P. M. which is a source of trouble to the people, because of goonda menace. When Government cannot check a few goonda elements in the Capital, it can never face China or Pakistan squarely. When the population has increased it is essential that bazars, banks and courts should be made to remain open throughout the day and shift system should be introduced. In the present state of things we cannot defend our country. The Government should consult the opposition to find a solution of all these problems.

Rs. 25 crores should not be spent on birth control and family planning measures during Third Five Year Plan. Instead we should preach self-restraint to the people to check the aalrming rise in population. We should wage a war of justice with China to uphold our rights. We should not bow before her so far as Colombo Proposals are concerned.

We should introduce compulsory military training and manufacture atomic and hydrogen bombs in the country. Then alone we can defend our country. We should broadcast character building programmes over the All India Radio to build the character of the nation.

An amicable solution of the minority problem should be found out so that minorities in India and Paksitan can live in harmony.

We should take stringent action against black-marketeers, profiteers and money-lenders who help in the smuggling of goods to Pakistan and inflict exemplary punishment upon them. We should infuse a sense of patriotism in the people through education in schools and by holding meetings in every corner of the country. Then alone we can put an end to communalism.

The people of the former North-West Frontier area have sympathetic feelings for India. But we have not taken adequate steps to expose Pakistan to them. We should set up a net work of radio stations on the northern border to counteract effectively the Chinese and Pakistani propaganda offensive. The co-operation of all the parties should be enlisted to get the Chinese aggression vacated.

[Shri Yaspal Singh]

With these words I make this submission that tax to the tune of Rs. 40 crores may be withdrawn.

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : टिकड़पाड़ा बांध परियोजना का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण तथा जांच की जानी चाहिये। इस परियोजना के पूरा होने से उड़ीसा को ही नहीं अपितु पड़ौसी राज्यों को भी नव जीवन मिलेगा। सर्वेक्षण करने के पश्चात् इस बांध के निर्माण को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

जहां तक स्वर्ण नियंत्रण आदेश का सम्बन्ध है शुद्ध सोना बाजार में उपलब्ध नहीं है। विश्व-विद्यालयों के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों तथा कलाकारों आदि को सोने के मैडल देने के लिये सोना उपलब्ध कराया जाना चाहि ।

भुवनेश्वर अधि शन में पास किया गया संकल्प सामाजिक उन्नति की ओर राष्ट्र के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि आये बजट में भारी कर लगाये जाते हैं परन्तु पंचवर्षीय योजनाओं की कार्यान्विति के लिये ऐसा करना जरूरी है। मेरा निवेदन है कि करों द्वारा प्राप्त धन राशि का उचित प्रयोग किया जाये ।

उड़ीसा राज्य के ग्रामीणों की दशा बहुत दयनीय है। पेट भरने तक की उन्हें चिन्ता बनी रहती है। उड़ीसा में प्रगति की दर इतनी अधिक नहीं है। वहां पर अधिक बेकारी है। दुर्भिक्ष, बाढ़ तथा हैजे जैसी बीमारियों का वहां पर जोर रहता है। अतः उड़ीसा राज्य को वहां के लोगों के कल्याण के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये ।

पर्याप्त परिवहन तथा संचार के अभाव का लोगों के दैनिक जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। सरकार को इस दिशा में गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

जनसाधारण को राहत देने के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोका जाये ।

जहां कहीं सिंचाई सुविधायें न हों वहां उन की व्यवस्था की जाये। भूमि हीन लोगों को भूमि दी जाये। ग्रामों में ग्राम उद्योग चलाये जायें। गरीब किसानों को कृषि उपकरण, बीज, खाद आदि दिये जायें ।

श्री शिव चरण गुप्त (दिल्ली सदर) : आयव्ययक प्रस्तावों में अधिकतर उन मूल विचारों को व्यक्त किया गया है जिन का सुझाव भुवनेश्वर अधिवेशन में दिया गया था। एकाधिकारों की जांच करने के लिये आयोग नियुक्त कर दिया गया है और सम्पदा शुल्क, धन कर तथा उपहार कर की निम्नतम सीमा को और अधिक कम कर दिया गया है। ये कदम हमें ठीक दिशा में ले जाते हैं। अतः यह कहना गलत है कि आयव्ययक प्रस्ताव भुवनेश्वर संकल्प के प्रतिकूल हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि अधिक धन लगाया जाये और कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उत्पातन बढ़े ताकि हम तेजी से आर्थिक प्रगति कर सकें ।

सरकार जनता को विश्वास नहीं दिला सकी है कि बैंकों और सामान्य बीमा व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि धन का जमाव न हो

और बढ़ते हुए धन का लाभ जनसाधारण को प्राप्त हो, बैंकों तथा सामान्य बीमा व्यापार का हमें एक दिन राष्ट्रीयकरण करना ही पड़ेगा ।

यह कहा जाता है कि साम्य पूंजी पर लाभांश कर तथा बोनस अंशों पर पूंजी लाभ कर से धन लगाये जाने में रुकावट पैदा होगी । वित्त मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिये और यदि यह सच है तो इसका हल ढूंढ़ना चाहिये ताकि भविष्य में धन लगाने में कोई बाधा अनुभव न की जा सके ।

यह खेद की बात है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उन्हें रोकने के लिये यथा संभव कार्यवाही नहीं की गई है । इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है । मेरा निवेदन है कि अत्यावश्यक पण्य वस्तुओं की कीमतों पर कुछ मूल्य नियंत्रण होना चाहिये ताकि इन वस्तुओं की कीमतें न बढ़ सकें ।

सरकार इस निर्णय पर पहुंच चुकी है कि बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में बदलने से बिक्री कर के अपवंचन को भी रोका जा सकता है और कर एकत्र करने में भी कठिनाई नहीं होगी ? १९५७ में चीनी, कपड़ा तथा तम्बाकू पर यह निर्णय लागू किया गया था और इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है । जब सरकार को यह विश्वास हो गया है कि बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने से राजस्व बढ़ेगा तथा व्यापारियों की कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी, तो समझ में नहीं आता कि इसे शीघ्रातिशीघ्र लागू क्यों नहीं किया जाता ।

सरकार प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये निर्धारित समूची राशि का प्रयोग नहीं कर सकी है । चीन तथा पाकिस्तान से अभी खतरा बना हुआ है अतः अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा के लिये हमें अधिकाधिक कदम उठाने की आवश्यकता है ।

राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष केवल २.५ प्रतिशत वृद्धि हो रही है जब कि जन संख्या २ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है और बढ़ी हुई कीमतों ने पिछले दो वर्षों में राष्ट्र द्वारा हमारी आर्थिक उन्नति के लिये किये गये प्रयासों को छिन्न भिन्न कर दिया है । इन परिस्थितियों में हमें देश का धन बढ़ाने के लिये अधिकाधिक उपाय करने चाहियें । ग्रामों तथा नगरों की आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से ये दो उपाय अवश्य किये जाने चाहियें । एक परिवार नियोजन तथा दूसरा ग्रामों में उद्योगों की स्थापना । इस लिये यह आवश्यक है कि तीसरी योजना में परिवार नियोजन के लिये निर्धारित २६ करोड़ रुपये की धन राशि का पूरा प्रयोग किया जाना चाहिये । इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिये तथा इसे गांवों में लागू किया जाना चाहिये । स्वास्थ्य शिक्षा का भी कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये । जन संख्या में अधिक वृद्धि को रोक कर ही हम राष्ट्रीय आय बढ़ा सकते हैं ।

जहां तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, ग्रामीण क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । जब तक हम ग्रामों में उद्योगों की स्थापना नहीं करते हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते । इस लिये यह आवश्यक है कि ग्रामों में उद्योगों की स्थापना के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक धन की व्यवस्था की जाये । हमें ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये ताकि ग्रामीण जनता अधिकाधिक संख्या में उद्योगों में लग सके । यदि हम ग्रामीण जनता को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं तो गैर-कृषि उद्योगों के संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र तथा ग्रामों के बीच यंत्रीकृत तथा मजदूर प्रधान उद्योगों के बीच एवं सामान्यतया नगर-आधारित औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था और विशेषकर गांवों पर आधारित विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था के बीच संतुलित सम्बन्ध बनाये रखने की आवश्यकता है ।

Shri Chandriki (Raichur) : At Bhuvaneswar we had passed a resolution that we would provide. The elementary needs of the people by the end of the Fifth five-year Plan. We had clearly stated that we would endeavour to im-

prove the lot of the lowest strata of society and raise their standard of living, create more avenues of employment for the people. In this light, the proposals contained in the present budget do not aim in that direction. I am pained to see that we have wasted another full year and have not advanced even a step further to relieve the people of their sufferings and misery. The same state of affairs continues. Some relief have been granted in texes for industrial progress. But priority has rightly been given to agriculture, on which 70% of the population depends and earns 50% of the national income. Without developing that sector, India cannot progress.

According to Bhubaneshwar Resolution, credit facilities should be provided to agriculturists. What arrangement has been made by the Government to solve this basic problem of villagers and the agriculture industry?

When I look upon the provision made for agriculture, I am disappointed. Why financial funds should not be set up for agriculture, just as funds are set up for industries. Mysore requires 42 crores for minor Irrigation scheme. Centre should take initiative, when they are giving loans up to 3000 crores to States, and should not leave it on states alone.

Regarding industrial policy I shall have to say that we have to import machinery for setting up any kind of factory. What provision has been made for manufacturing it here ?

The short fall of Rs. 43 crores on investment for defence purpose indicates our slow progress in the field.

On one hand we talk of difficulty of foreign exchange and on the other hand import super-fine cotton worth 62 crores, which is not at all required for the majority of the people. We should rethink on this question.

Finance Minister has proposed special concession for small savings in the impression that the people have little capacity of savings. If that be true, how the small savings could increase from 25 crores to 117 crores in two years ? We should think how we can develop the saving capacity.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): The budget gives no relief to poor people and lacks spirit of socialism. This is designed to benefit millionaires. We expected several of high taxes imposed during emergency, but in vain. People gave money liberally for defence purposes. But no lands illegally occupied by China and Pakistan has been vacated. But people are disappointed to find no reference of getting that land vacated from aggressors. We are prepared to sanction more money for defence, but action should be taken in right direction. Military is not meant merely for inaugration and salute taking ceremonies.

Adequate relief has not given to agriculturist, nor tax removed from kerosene oil. Talking of reduction of tax and levy of additional tax of Rs. 400 crores, is hypocrisy. People will be further burdened.

A large number of goldsmiths have been rendered jobless. They should be provided with jobs in small industries one and a half lakh Hindus have came from Pakistan. 27 crores people are unemployed and starving. Then why are we paying attention to such industries to compete with Russia and U.S.A. ignoring most important issues facing our people ? Instead of tractors we should develop good breed of bulls and start Goshalas to promote agriculture. Our loans have been increasing and wheat worth 26 thousand millions of rupees is imported. We have to borrow even for paying interest in the loans. How long shall we depend on other countries ? Because of dependence on other countries, we are not able to introduce Hindi and remove statues of foreigners installed in our country. We should stand on our own legs.

I welcome wealth tax and property tax etc. But we cannot bring socialism at this slow speed.

Wasteful expenditure in the Government is at the high side. We unnecessarily spend crores of rupees on foreigners and tax our people, but the result is that the Chinese representative walked out on 26th January. Such expenditure should be curtailed to the minimum extent. Unless we try to appease others, cannot bring prosperity.

The Commission to enquire into concentration of wealth, because of lethargy, could not present the report so far. Capitalists give huge money to Congress, otherwise the Congress will trumble down. That is why they are not taxed properly. Five family in the country control the money, and instead of taxing them, the Government taxes poor people. This policy should be changed.

In the budget it has not been stated as to what would be done for rehabilitating displaced persons from Pakistan. Rajasthan has to face famine every year. For the purpose, irrigation and other facilities should be provided there. But no step has been taken.

Are 55 thousand fair price shops opened are adequate to meet the demand of the country ? Such shops are not opened in villages, but opened in big cities only to evade critisism. Due to high prices villagers are suffering most. Clerks with meagre income cannot pull on.

Villagers, before attainment of independence, were better of. To-day they do not find enough cloth for them. They have considerably reduced their expenditure. But wasteful expenditure has increased enormously in cities. So we should help villagers and agriculturists more. Conditions of agriculture is very body, but it is a matter of regret that still the Chief Minister of Rajasthan calls it prosperity. So, I shall appeal that agriculturists should be enabled to get money direct from the bank.

To day an agriculturist has to go to several departments for any work and months pass for getting that work done. I, therefore, suggest that all work of a farmer should be got done at one place. Suitable arrangement should be made in this direction.

श्री हिम्मतसिंहका (गोडा) : वित्त मंत्री ने, न जाने क्यों यह अपवाद किया है, कि सरकारी उपक्रमों को भी अपनी क्षमता के अनुसार लाभ कमा कर राज्य के राजस्व को बढ़ाना चाहिये।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि तीन वर्षों में अनाज के राजकीय व्यापार में ६४ करोड़ की हानि हुई। क्या मा० सदस्य चाहते हैं कि सरकारी उपक्रमों की यह दुर्दशा बनी रहे, या इस में सुधार लाकर इनका लाभ बढ़ाया जाय ?

सरकारी उपक्रमों के न तो निश्चित सिद्धांत हैं और न ही सरकार तथा संसद का उचित नियंत्रण उन पर है। प्रशासनिक ढांचों में भी व्यापक अन्तर है। अतः इन के गठन में उचित सुधार होना चाहिये।

इस आय व्ययक में भुवनेश्वर संकल्प की भावना का समावेश है और वित्त मंत्री के कुछ इरादे जो पहले थे, उनको इसी कारण इस में स्थान नहीं दिया गया।

उत्थान, आर्थिक विकास के लिये करों में कुछ हेर फेर करने की जरूरत है। कुछ चुने हुए उद्योगों को कुछ रियायत मिलेगी, और विदेशी पूंजी को कुछ और रियायत दी जायगी। हमारे देश में अन्य

देशों को अपेक्षा विदेशी पूंजी का विनियोजन बहुत कम है, क्यों कि उनको दूसरे देशों में अधिक प्रोत्साहन और लाभ मिलता है ।

अधिक विनियोजन, तथा अधिक उद्योगों की स्थापना तथा उत्पादन बढ़ाये बिना देश उन्नति नहीं कर सकता । समाजवाद का अर्थ गरीबी का वितरण करना नहीं है । इसके लिये विनियोजन और बचत को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन देना होगा ।

श्री आजाद और मालवीय के बजट की यथार्थता तथा प्रभाव पर आकर्षित न हो कर केवल मात्र सिद्धांतवाद पर आधारित थे ।

कर देयता में ही कमी नहीं की गई, बल्कि निगमित क्षेत्र को गत वर्ष से अधिक दिया गया है । गत वर्ष कर बहुत अधिक थे । अधिकर भी ठीक किया गया है ।

बजट का प्रभाव बाजार से दिखाई देता है । गैर-सकारी क्षेत्र की आलोचना की गई है । परन्तु पिछले पांच वर्षों में १८८ नई बड़ी चीजें तैयार हुई हैं, कुछ उद्योगपतियों ने लासानी फैक्टरियां लगाई हैं और बिना सहयोग के बांस से रेयन धागा तैयार करने का काम शुरू किया है । हमारे इंजीनियर किसी से घटिया नहीं । किन्तु उनको प्रोत्साहन और अवसर मिलना चाहिये । अत: नवीन उद्योगों की स्थापना में बाधा नहीं डालनी चाहिये ।

अधिलाभ कर के सम्बन्भ में, न्यूनता को आगे ले जाने का उपबन्ध किया है, वैसे ही उपबंध अधिकर के बारे में किया गया । मुझे ऋणों के मामले में दस वर्ष का औचित्य समय नहीं आता, पूंजी आस्तियां बनाने के लिये ली गई पूंजी को पूंजी के आधार पर माना जाना चाहिये ।

लाभांश पर ७ ½ प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव उचित नहीं, क्योंकि इस से विनियोजन पर कुप्रभाव पड़ेगा । कर यदि लगाना है तो किसी सीमा से ऊपर लगाना चाहिये ।

यदि कुछ अंशों को धन कर अधिनियम के अन्तर्गत आस्तियां न माना जाने का हक है, तो लोग नवीन समवायों में धन लगाने को प्रेरित होंगे । बिना लाभ कोई ऐसा नहीं करेगा । नवीन उपक्रमों को लाभ कमाने में कई वर्ष लगेंगे । अत : इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है ।

विकास छूट स्थिति का स्पष्टीकरण होना चाहिये । यह नए उद्योगों के लिये बड़ा भारी प्रोत्साहन है । अत: इसे समाप्त नहीं करना चाहिये ।

कृषि अर्थ-व्यवस्था में ३५० करोड़ रुपये की व्यवस्था है । ९१४ करोड़ रुपये योजना पर खर्च होंगे और आधा कृषि पर । परन्तु इस धन का उचित उपयोग नहीं किया जाता । अधिक धन वेतनों पर खर्च होता है । अस्सी मिलों में पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने पर विचार करना चाहिये ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान छोटी नदियों पर बांध बांध कर थोड़ा खर्च करके थोड़े समय में बहुत लाभ हो सकता है । परन्तु राज्य धनाभाव का बहाना करते हैं । इस दिशा में अवश्य कोई कार्रवाई की जानी चाहिये ।

कुछ समवायों में कुछ उद्योगों में पूर्ण रूपेण पड़ने के लिये कुछ रियायतें देने का उपबन्ध किया गया । परन्तु यदि कोई ९५% तक काम करे, तो उसे भी अनुपात से रियायत मिलनी चाहिये ।

डा० सरोजनी महिषी (धारवाड़ उत्तर) : यह बजट काफी व्यापक है और ध्यानपूर्वक तैयार किया गया है ।

पिछले वर्षों की आस्तियों और दायित्वों को लेकर ही बजट चलता है और अपनी नीतियों तथा नवीन प्रस्तावों को लेकर ही बनाया जाता है ।

जन साधारण इतने वर्षों से लगातार कम-प्राक्कलित बजटों के कारण पिसता जा रहा है, परन्तु प्रयत्नशील रहा है, और हमारे बहुत से उद्योगों तथा सार्थों में सरकार की कुशलता की कमी के कारण जनता को बड़ा भार उठाना पड़ा है ।

इस वर्ष तथा गत वर्ष कई समस्यायें हमारे सामने थी, नवीन समस्याओं के कारण नवीन राजकोषीय नीति बनानी जरूरी थी । जब दो देश तीसरे पर प्रतिक्रिया करें, तो उस स्थिति का अनुमान लगाना बड़ा कठिन होता है । ऐसी स्थिति में बजट को नवीन रुख देना पड़ा है ।

कई माननीय सदस्यों ने कई त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है । कर्मचारियों की कमी के कारण राशि बकाया रही । अब वित्त मंत्री ने उस को सुधारने का आश्वासन दिया है । क्या इतने वर्षों तक वसूल करने वाले तंत्र को कड़ा नही रखा गया १८६ करोड़ रुपये की वसूल न की गई राशि, बहुत बड़ी है । इसी कारण आयकर अधिनियम में भी कुछ परिवर्तन किये जाने का विचार है । कर दाता अपने धन के उचित उपभोग के लिये बड़ा उत्सुक रहता है । क्या इसी वर्ष इस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है, गत वर्षों में नहीं किया गया ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि व्यय की ओर कड़ा तथा आय की ओर उदार दृष्टिकोण रखा गया है और कम-प्राक्कलन कम होगा । लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने लेखा परीक्षक को उन उपायों को बताने की परवा भी नहीं की है । इसी कारण भारी कर लगे हैं । आयकर के वर्गीकरण में किये गये परिवर्तन तथा अनिवार्य बचत योजना के हटाने से कुछ राहत मिलेगी ।

जनसाधारण को करों की श्रृंखलाओं के द्वारा कठिनाई में डाला गया है । वित्त मंत्री ने कहा था कि हमें विकास तथा प्रतिरक्षा निधि को बढ़ाने के लिये उत्पादन और उत्पादकता पर निर्भर होना पड़ेगा । कृषि की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये ; कृषि ऋण और उर्वरक समय पर दिए जायें, सिंचाई क्षमता का उपयोग करने में सहायता दी जाए, छोटे और बड़े सिंचाई कार्य आरम्भ किये जायें । अपर ऋण परियोजना का जल प्रभावित क्षेत्र मैसूर, आंध्र, महाराष्ट्र राज्यों में काफी है । मालापुर परियोजना के सम्बन्ध में जो वर्षों से लटक रही है, प्रविधिज्ञों में कोई मतभेद नहीं । इन कार्यक्रमों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाए ताकि किसान को कुछ लाभ और सहायता प्राप्त हो ।

परीक्षकों में, कुछ वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क घटाए हैं । परन्तु इनसे जन साधारण को कितनी राहत मिलेगी ? वित्त मंत्री ने करारोपण को विनियोजन को बढ़ाने, फिजूल खर्ची तथा फिजूल उपयोग को कम करने और विनियोजन करने वाले को उचित लाभ होने देने का एक साधन होता है जिससे अभावग्रस्त अर्थ-व्यवस्था की बुराइयां दूर होती हैं ।

हमारा ध्येय समाजवादी समाज की स्थापना है । व्यय कर इसलिये हटाया गया था कि इससे प्राप्त राशि नगण्य थी । अब इसे फिर से लगा दिया गया है । हम चाहते हैं कि उत्पादन साधनों का उचित उपयोग हो और न्यायपूर्ण ढंग से उनका वितरण हो । करों में संशोधन ध्येय से किया गया है कि राज्य कोष में अधिक रुपया प्राप्त हो ।

मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देती हूं। हिन्दू नियमों में उनके द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से काफी परिवर्तन होने की आशा है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, बजट ने आशा का वातावरण उपस्थित कर दिया है। तथापि मेरे कुछ सुझाव हैं। पहली बात तो यह है कि अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य जमा योजना की राशि उन्हें लौटा दी गई है किन्तु आय कर देने वालों के सम्बन्ध में एक वर्ष की जमा राशि पांच वर्ष के बाद लौटाने की घोषणा की गई है। इस प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात आयकर के सम्बन्ध में है। अविवाहित व्यक्तियों के सम्बन्ध में आयकर और बढ़ा दिया गया है। कलकत्ता से मेरे एक मित्र ने मुझे पत्र लिखा है जिसमें उसने बताया है कि समस्त श्रेणियों के सम्बन्ध में आयकर पहले से अधिक हो गया है।

आयकर निरीक्षकों को मुकद्दमा चलाने का अधिकार दे दिया गया है। आय कर का अपवंचन करने वाले तो अब भी अपवंचन करेंगे। इस अधिकार को देने से निम्न आय वाले समस्त ईमानदार व्यक्तियों को ही कष्ट उठाने पड़ेंगे ।

इस समय आय के सम्बन्ध में घोषणा करनी पड़ती है किन्तु आगे से प्रतिज्ञान करना पड़ेगा। झूठा प्रतिज्ञान करने से जेल भी हो सकती है। इससे भी सीधे सरल व्यक्तियों को ही कष्ट उठाने पड़ेंगे जिन्हें तरकीबें नहीं आतीं ।

सरकारी क्षेत्र में काफी व्यय होता है। यहां तीन चौथाई स्थापना में खर्च होता है और एक चौथाई वास्तविक कार्य में । जापान में ठीक इससे विपरीत है। इसीलिये वहां तेजी से प्रगति हुई है ।

पश्चिम बंगाल के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से १९६१-६२ और १९६२-६३ में जितनी राशि देने का वचन दिया गया था उसमें अब भी ६०६ करोड़ रुपया देना शेष है। इस ओर ध्यान दिया जाये।

उत्पादन की वृद्धि पर काफी जोर दिया गया है, किन्तु उत्पादन की वृद्धि के साथ ही यदि उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। और हमें मुद्रा स्फीति और अन्य बातों का सामना करना होगा ।

विदेशी पूंजी के निवेश के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। प्रोफेसर विनयकुमार सरकार जो एक विख्यात अर्थशास्त्री हैं देश में विदेशी पूंजी बढ़ाने का समर्थन करते हैं। किन्तु जिस विशेष स्थिति में भारत इस समय है उस स्थिति में यहां विदेशी पूंजी का लगाया जाना हानिप्रद हो सकता है। १९४७ के बाद भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई किन्तु राजनयिक दृष्टि से वह अब भी आंग्ल-अमरीकी गुट के पंजे में है और इसी गुट ने पाकिस्तान की स्थापना की है। इसलिये यह गुट काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान के अनुचित दावे का समर्थन कर रहा है। अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की सहायता के लिये कुछ व्यवस्था करें ।

Shri Tan Singh (Barmer) : Mr. Deputy Speaker, Sir, political philosophy has much bearing on the financial structure of a country. Out of two main schools of thought Indian philosophy is basically idealistic in character. laying stress on the spiritual upliftment of man, whereas marxism recognizes only the economic aspect of life. The congress idology, like many others, is steering in between these two extremes. But on closer examination it would seem that congress thinking has become oscillating in character. It has disgressed from the concept of Ram Rajya Gandhiji had visualised and now apparently it is moving in the direction of marxist philosopy.

Coming to the budget proposals, it surprises me to find that the door has been opened for the investment of foreign capital. Wonder how socialism will be achieved in this way in the country. I would like to make a few observations about the budget.

Firstly, I fail to understand why the present Finance Minister, has found it advantageous to reintroduce expenditure tax which was previously shifted by the ex-Finance Minister on the ground that the returns from the tax were not sizable.

Secondly, the wealth-tax has been raised obviously, with two objectives of assisting capital formation and breaking monopoly. In this connection I would like to submit that the congress does not become worthy of all the credit—only because of the fact that they have abolished zamindari and princely states. It was not all that was required to bring socialism in the country. Their main duty was to see that the basic requirements of people, are adequately met. At present bulk of the population is living under plightful condition. The problem of housing has taken alarming proportions. Prices have shot up like any thing whereas the real wages of the people have not recorded any rise. In these circumstances it was not proper for the Government to raise further the burden of their tasks. The Government have not been able to a meliorate in any way the condition of the people during all these 17 years. The same amount of illiteracy can be witnessed even now in the villages and the villagers still suffer from scarcity of water. To abolish upper classes was not our slogan. Our main responsibility was to see how much of the sufferings of the lower classes can be removed. The truth of the matter is that ruling party has not adhered to any clear cut policy and they are oscillating like a pendulum.

As for gift tax I would like to submit that it was a necessary adjunctment of the wealth tax at least people would have sold their property under the name of gift.

Compulsory Deposit scheme has been substituted by annuity deposit scheme. If it was intended to enforce compulsory saving it was proper that small saving schemes, insurance etc., were made compulsory. But any sort of compulsion would alienate people and prejudice the instance of saving. Saving can be effected only when we bring about reduction in our expenditure as well as in consumption. It would have been of more use if negotiable certificates were issued so that money could be kept in circulation.

The Government believes in democratic socialism i.e., to achieve socialism by the cooperation of people and not by taking resort to violent means. But for myself, I fail to make out any difference between using the force and enforcing the law. We have failed miserably in the task of bringing about political awakening in the masses which is basically necessary for achieving socialism in the country.

Taxes have risen to the extent of 125% since 1948, whereas national income has increased only by 42%. It does not show a sound economic policy. Furthermore the estimated amount of returns on account of taxes was 1100 crnres of rupees for the full period during the Third Five Year Plan. Whereas amount of tax recovered during first three years of Plan would be about 1900 crores of rupees. In these circumstances, further increase in the taxes is not advisable.

I would favour the nationalization of banks if the money obtained there by was intended for providing credit facilities to the agriculturists. But it is useless to talk of expanding investment in the public sector as the accomplishment of public sector in so poor, i.e., the expected return during 1964-65 is only 25%. —that the propriety of nationalization has lost its ground. The industrial undertakings in the public sector have not shown much success.

The agriculture sector has also been neglected by the Government. If increase in the productions is intended there are certain measures which should be taken immediately without entering into the dispute whether agriculture is a State subject or Central one.

The Government has not made any progress in the direction of family planning. The amount allotted for this purpose in the First, Second and Third Plans is quite insignificant being 4 nP. per head per annum.

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : साम्यवादियों द्वारा बजट की आलोचना तो समझ में आती है किन्तु श्री नि० चं० चटर्जी का यह कहना कि बजट समाजवादी नहीं है समझ में नहीं आता। सम्भवत: वे साम्यवादियों की सहायता से निर्वाचित होने के कारण उन्हें खुश करना चाहते हैं।

वास्तव में यह बजट अति समाजवादी है क्योंकि मृत्यु कर इतना बढ़ा दिया गया है कि ३० लाख की सम्पत्ति में १७ लाख रुपया सरकार के पास चला जायेगा। इसी प्रकार दान कर भी ८० प्रतिशत है। भुवनेश्वर के संकल्प में भी इतना भारी कर लगाने की कल्पना नहीं की गई थी।

कम्पनियों पर भी व्यय कर, दान कर, सम्पत्ति कर के अलावा ७½ प्रतिशत लाभांश कर और १० प्रतिशत अतिकर लगाया गया है।

बजट भाषण में एकाधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। वास्तव में इसके लिए सरकारी अधिकारी भी उत्तरदायी हैं। नये उद्योगों के लाइसेंस प्राप्त करने में इतना विलम्ब हो जाता है कि वे स्थापित ही नहीं हो पाते।

वर्तमान बजट के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के पत्र आयकर अधिकारी से प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार उस व्यक्ति से अनुचित लाभ उठा सकता है। अत: इसके लिए आयकर आयुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक होनी चाहिये।

गत वर्ष सरकारी उद्योग क्षेत्र से केवल १०.९१ करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है जो बहुत कम है। वित्त मंत्री को देखना चाहिये कि जिस उद्योग से मुनाफा न हो उसे सरकारी क्षेत्र में स्थापित न किया और यदि आवश्यक हो तो ऐसी कम्पनी के अध्यक्ष प्रबन्धक को हटा दिया जाए।

वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक बढ़ रहे हैं जिसका कारण यह है कि वितरण में त्रुटि है। केन्द्र इस उत्तरदायित्व को राज्य के सिर नहीं डाल सकता ।

निगमित क्षेत्र पर जो कर लगाये गये हैं उससे उद्योगों का विकास रुक जायेगा। गत वर्ष अति लाभ कर में राहत दी गई थी जब कि इस वर्ष १० प्रतिशत कर लगा दिया गया है। निगमित क्षेत्र के करों में कुछ कमी करनी चाहिये।

गैर सरकारी उद्योगों को विकसित होने देना चाहिये यदि सरकार ८५ प्रतिशत करों के रूप में ले लेगी तो उनका विकास नहीं हो सकेगा। वित्त मंत्री को बजट पर पुनर्विचार करके उचित राहत देनी चाहिये ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही जा रही है। गत वर्ष गैर सरकारी बैंकों के १४०० करोड़ रुपये पर २८ करोड़ का मुनाफा हुआ जिसमें १४ करोड़ रुपया सरकार और ४ करोड़ रुपया बोनस कर्मचारियों को दिया गया तथा ४ करोड़ रुपया रक्षित रखा गया। इस प्रकार ८ या ९ प्रतिशत लाभ हुआ जिस पर २० प्रतिशत कर लग गया। अतः मुनाफा कहां है। राष्ट्रीयकरण की दुहाई तो केवल इस कारण है कि उन्हें समाजवादी समझा जाए ।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए ।]

[SHRI KHADILKAR in the chair]

भारतीय रक्षित बैंक को इतने अधिकार प्राप्त हैं कि यह प्रायः राष्ट्रीयकरण ही है ।

हमारे अपने पक्ष के लोग भी बजट की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह पूंजीवादी बजट है। यदि ऐसा है तो मुझे पता नहीं कि पूंजीवाद का अर्थ क्या है। वित्त मंत्री को देश को उचित राहत देने के बारे में विचार करना चाहिये ।

श्री वाकर अली मिर्जा (वारंगल) : श्री गोपालन ने बजट को पूंजीवाद कहा है श्री रंगा ने मार्क्सवादी और श्री मुरारका ने मध्यवर्ती। किन्तु वास्तव में बजट द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कर व्यवस्था में सुधार किया गया है ताकि अर्थ व्यवस्था में आत्मनिर्भरता की स्थिति आ सके। श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा कि पी० एल० ४८० हमें जकडे हुए है। किन्तु क्या हम उसके बगैर गुजर कर सकते हैं? क्या देश खाद्य सामग्री में आत्म निर्भर हो गया है। विकासशील देश के लिये ऐसी सहायता आवश्यक है ।

मैं समझता हूं कि यह डर वास्तविक है कि विदेशी पूंजी कहीं हमें अपने पंजों में न जकड़ ले। एकाधिकार के सम्बन्ध में परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले संसार भर में पटसन का एकाधिकार था जब कि अब ८० मिलों में केवल दो हुकम चन्द और बिरला के पास हैं।

देश की पूंजी निर्वाचनों पर कब्जा किये हुए है इसके लिए निर्वाचन पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है ।

यह नहीं हो सकता कि आप हर योजना में करों को अधिकाधिक बढ़ाते जायें। सरकारी उद्योग क्षेत्र में इतना पैसा लगाया जा रहा है उसके मुनाफे में वृद्धि होनी चाहिये ।

यदि देश को समृद्ध नहीं बनाया जाता यदि किसान को उसकी उपज के अधिक मूल्य नहीं दिये जाते तो कृषि का विकास नहीं हो सकता ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी स्थिति बहुत कमजोर है। अतः हमें आन्तरिक बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिये। किसान अनाज पैदा करता है और औद्योगिक वस्तुओं का उपभोग करता है अतः उसे उसकी उपज के अधिक मूल्य देने चाहियें ।

सामूहिक योजना को लागू किया जा रहा है किन्तु एक ही राज्य में १० क्विंटल से १४ क्विंटल तक उपज होती है । ऐसा अन्तर क्यों है जब कि चुने हुए क्षेत्रों में गहन खेती की जा रही है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[MR. SPEAKER in the chair]

पट्टेदारी की स्थिति यह है कि किराये बहुत अधिक हैं । अभी तक फसल में हिस्सा लेने की प्रथा है । यह निकृष्टतम प्रथा है । मद्रास के भूमि सुधार अधिनियम का कोई लाभ नहीं हुआ । सामूहिक योजना में चाहे कितना पैसा लगा दिया जाए उसका कोई लाभ नहीं होगा । कृषि उत्पादन के मूल्य बढ़ाने और कृषि सम्बन्धी सुधारों से ही देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : श्री मोरारजी के बजट के समय तो विचारधाराओं के आधार पर बजट की चर्चा नहीं की जा सकी क्योंकि आपातकाल में प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता थी और लोग इसके प्रति सचेत थे किन्तु अब देखना है कि बजट में कहां तक समाजवाद की बातें हैं। पहले बजट का मूल्य वृद्धि और उत्पादन में कमी का प्रभाव पड़ा था और अब आशा की जाती थी कि बजट द्वारा मूल्य स्थिर किये जायेंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

किन्तु पहले तो कर में कोई कमी नहीं की गयी और निम्न आय वर्ग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया । १५००० रुपये की आय तक आयकर में दी गई राहत पर्याप्त नहीं । अतः कुल मिला कर राहत कुछ भी नहीं है । वित्त मंत्री को आय कर की दरों की पुनः जांच करके उन्हें युक्ति-संगत बनाना चाहिये ।

मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि गैर सरकारी उपक्रमों को लाभ कर के स्थान पर उदार ढंग से अति कर लगा कर प्रोत्साहन दिया गया है । किन्तु सरकारी क्षेत्र में जो विदेशी सामान्य पूंजी को आमंत्रित किया गया है उससे खतरा है । मध्य पूर्व के देशों में विदेशी पूंजीपतियों के ही विवाद खड़े किये थे अतः कह नहीं सकते कि सरकार उस पूंजी के राजनैतिक प्रभाव को कहां तक रोक सकेगी ।

मूल्यों में २.२ प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है जो बहुत भारी है और मुद्रा के अधिक संभरण तथा बैंक ऋण की अधिक व्यवस्था होने पर भी उसमें सुधार नहीं हुआ । बजट में कोई संकेत नहीं इसे कैसे सुधारा जायगा ।

काले बाजार का धन अब भी लोगों के पास जमा हो रहा है और कर बढ़ाने से पता नहीं लगेगा सरकार को कभी कभी मुद्रा को नष्ट कर देना चाहिये ।

मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि देश के ७०, ८० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ऐसी अर्थ व्यवस्था में कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये जिससे कृषि कार्य क्षेत्र सुदृढ़ हो। मौसम की खराबी का प्रश्न पुराना है। इसके लिए फसलों का बीमा आरम्भ करना चाहिये।

कृषकों के ऋण की आवश्यकता के केवल ७ प्रतिशत की पूर्ति होती है और वह भी जब तक उनके पास पहुंचता है उन्हें ८ या १० प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है भले ही भारतीय रक्षित बैंक २ प्रतिशत ब्याज लेता है।

कृषकों को बिजली और कृषि सुविधाएं सस्ते दामों पर देनी चाहिये, तभी कृषि में प्रगति हो सकती है। कृषि का इस दृष्टि से भी महत्व है कि उसकी प्रगति से हमें उद्योग के लिए कच्चा माल सस्ता मिल सकेगा और हम वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे।

एकाधिकारों को समाप्त करने के एकाधिकार आयोग पर्याप्त नहीं बल्कि ऐसा अभिकरण बनाना चाहिये जो एकाधिकारों को तोड़ सके।

पहले वित्त आयोग जन संख्या के आधार पर राज्यों को धन दिया करता था अब पिछड़े हुए क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिये। प्रादेशिक असमानतापूर्ण सुधारों में बाधा उपस्थित कर रही है।

पेट्रोलियम रसायन उद्योगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया उनसे बहत विदेशी मद्रा का अर्जन किया जा सकता है।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं बजट के कुछ पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूं हमारी अर्थ व्यवस्था के संबंध में कुछ अस्पृश्ता है जिसे दूर कर देना चाहिये। हमने यह स्वीकार किया है कि देश की अर्थ व्यवस्था मिश्रित अर्थ व्यवस्था होगी। साथ ही हमने अर्थ व्यवस्था को समाजबादी बनाना है। इससे एक बात स्पष्ट है कि गैर सरकारी अर्थ व्यवस्था भी जीवित रहेगी। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि गैर सरकारी उद्योग को धन कहां से मिलेगा। गत वर्ष बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए यहां एक संकल्प लाया गया था जिसका विरोध करते हुये मैंने कहा था कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के धन तो गैर सरकारी बैंकों से ही मिलेगा। अब समय है कि यह बात स्पष्ट कर दी जाए कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में गैर सरकारी उद्योगों का हिस्सा क्या होगा।

यह बजट विकास और प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है। देश कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ हैं जब तक केन्द्र और राज्य मिल कर स्थिति सुधारने का प्रयत्न नहीं करेगा कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

कृषि के क्षेत्र में भीं केन्द्र को चाहिये कि राज्यों से कृषि की परिस्थितियों के अनुकूल बजट बनवायें। क्या योजना आयोग ने किसी राज्य के लिए कोई एकीकृत योजना बनाई हैं। वे तो राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में ही कुछ सुधार करके भेज देते हैं। इसी से इतना धन खर्च करने पर हमें कोई सफलता नहीं मिलती। कृषि के संबंध में एकीकृत योजनाओं से ही सहायता मिल सकेगी।

इस बजट में भी गत वर्ष की तरह मुद्रा स्फिति की प्रवृति है। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अब स्फिति के क्या उपाय किये हैं।

मेरे मित्र यह चाहते हैं कि विदेशी पूंजी यहां आये किन्तु ऋण के रूप में न कि सामान्य पूंजी के रूप में। यह तो आवश्यक नहीं कि पूंजी देने वाले हमारी सब शर्तों को स्वीकार करें।

वाल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख में बताया गया है कि भारत में प्रगति विरोधी योजनाएं बन रही हैं। यह लेख बहुत भ्रामक है। सरकार को ऐसे प्रचार का विरोध करना चाहिये।

श्री रंगा (त्रिचूर) : साम्यवादियों ने समाजवाद की स्थापना की अपनी योजनाओं का उल्लेख किया है जिनका समर्थन कुछ कांग्रेसियों ने भी किया है। हमारा दृष्टिकोण हमारे दल के नेता श्री मसानी ने स्पष्ट कर दिया है। मैं कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(MR. DEPUTY SPEAKER in the chair)

कृषि के संबंध में सभा एकमत है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और कृषकों की आय बढ़ाने के बारे में बजट में कुछ नहीं है।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारी राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही है, लोगों का रहन सहन का स्तर गिरता जा रहा है, लोगों को खाना कपड़ा नहीं मिल रहा है, राष्ट्र भयानक रूप से ऋणग्रस्त होता जा रहा है, देश के सभी वर्गों में बेरोजगारी फैली हुई है, भारत में योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था चालू होने से आज तक करों में तीन गुनी वृद्धि हो चुकी है। मूल्य लगातार बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इन्हें दूर करने के लिए कोई मार्गोपाय निकालना चाहिए। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार नये उद्योगों के संवर्द्धन के लिये नियंत्रण, परमिट तथा लाइसेंसों के बारे में अपने वचन को पूरा नहीं कर रही है।

आय व्ययक में कृषि की उपेक्षा की गई है। कृषि उत्पादन में दो वर्षों में लगभग २०० करोड़ रुपयों की कमी हो गई है। सरकार कृषकों को सहायता पहुंचाने के लिये कुछ नहीं कर रही है। सरकार को चाहिये कि वह कृषकों की कार्यकारी पूंजी का बीमा कराये, दैवी प्रकोपों केसमय सहायता पहुंचाने के लिये अखिल भारतीय दुर्भिक्ष बीमा निधि स्थापित की जानी चाहिए। इस निधि के लिये राज्य सरकारों तथा विदेशों से यथाशक्ति सहायता मांगी जानी चाहिए। इस निधि से अकाल बाढ़ आदि से फसलों को होने वाली हानि के समय कृषकों को सहायता दी जानी चाहिए। कृषि का आयोजित रूप से विकास किया जाये। कृषकों को उर्वरक, अच्छे बीज कृषि नाशक, कीट नाशक औषधि, सीमेंट, इस्पात आदि आसानी से उपलब्ध किये जाने चाहिए। पशुओं के लिये चारे की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नलकूपों द्वारा सिचाई को सुगम बनाने के लिये बिजली तथा डीजल तेल सस्ते दामों में दिये जाने चाहिए।

कृषक करों के बोझ से दबे हुए हैं। यह दुख की बात है कि राज्य सरकारों ने भूराजस्व तथा सुधार कर में वृद्धि कर दी है। सरकार का यह कहना निराधार है कि यह राज्य सरकारों का मामला है इसलिये वह कुछ नहीं कर सकती। भूराजस्व कम किया जाना चाहिए, सुधार कर समाप्त किया जाना चाहिए। इन से राज्य सरकारों को होने वाले घाटे का कुछ भाग केन्द्र सरकार को वहन करना चाहिये।

पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत अमेरिका से मिलने वाली सहायता का कम से कम ५० प्रतिशत भाग कृषि विकास पर लगाया जाना चाहिये । किन्तु सरकार इसके प्रतिकूल इस धन से खाद्यान्नों का आयात कर रही है । देश में इस समय ६०,००० सस्ते अनाज की दुकानें खोली गयी हैं । इनका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । कृषकों को अपने उत्पादों के उचित मूल्य नहीं मिल पाते हैं । अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग १५० करोड़ की बचत होने की आशा है । सरकार इस राशि का तथा पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत मिलने वाली राशि का तम्बाकू, चीनी, मिट्टी का तेल, सुपारी, बीड़ी तथा डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क कम करने तथा कृषि में प्रयोग की जाने वाली बिजली की दर कम करने के लिये राज्यों को राज सहायता देने के लिए प्रयोग करे ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषकों को कम ब्याज पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध किया जाना चाहिए । उनके लिये खाद, अच्छे बीज आदि का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए । बाढ़, सूखे, पाले तथा पशुओं की महामारी से कृषकों को होने वाली हानि को पूरा करने के लिये उन्हें सहायक अनुदान जैसी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये ।

इस समय कृषि की सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है । जो कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था है भी उसका भी उपयोग कृषक पूंजी के अभाव में नहीं कर पाते हैं । कृषि उत्पादन के लिए पानी आवश्यक है । इसलिये वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिये तथा और अधिक सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिये । घाटे की अर्थ व्यवस्था का उत्पादी प्रयोजनों के लिये प्रयोग नहीं किया गया है । जिससे कृषकों को हानि उठानी पड़ी है ।

योजना आयोग के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए क्योंकि भूराजस्व बढ़ाने और संविधान में (सत्रहवां संशोधन) विधेयक के फलस्वरूप लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है । इससे जनता में निरुत्साही प्रक्रिया आरम्भ हो गई है ।

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री प्रगतिशील आय व्ययक प्रस्तुत करने के लिये बधाई के पात्र हैं । इससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी । वर्तमान करों की आय के साथ साथ पूंजी विनियोजन संबर्द्धन की दिशा में कई कदम उठाये गये हैं ।

भारत में मध्यवर्ग के लोगों, विशेष रूप से निर्धारित आय वालों को बढ़ते हुए मूल्यों तथा करों के बोझ के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । वित्त मंत्री महोदय ने इस वर्ग की कठिनाइयों को अनुभव करके अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर तथा कुछ करों में छूट देकर लोगों को बहुत राहत दी है ।

मंत्री महोदय ने निगम करों को पुनर्गठित करके उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया है । अधिलाभ कर के स्थान पर अधिकर लागू करके तथा प्राथमिकता दिये जाने वाले उद्योगों को कर से कुछ छूट देकर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है । गैर सरकारी समवायों के बारे में पूंजी लाभ कर के बोनस शेयरों में बदलने और अधिकर में वृद्धि और वर्ष १९६६ के बाद विकास छट को समाप्त कर देने की धमकी के साथ साथ संपदा शुल्क, उपहार कर और व्ययकर के बावजूद कुल मिला कर आयव्ययक प्रस्तावों में निगमित क्षेत्रों (कारपोरेट सैक्टर) के साथ उदार व्यवहार किया गया है । गैर सरकारी क्षेत्रों को इस मिश्रित अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिये ।

मंत्री महोदय द्वारा एकाधिपत्यों संबंधी आयोग की नियुक्ति की घोषणा सराहनीय है । इस प्रकार की रियायतें देने से आर्थिक शक्ति अथवा धन का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा ।

यह अच्छी बात है कि प्रतिरक्षा के लिये लगभग उतनी ही राशि की व्यवस्था की गई है जितनी पिछले साल की गई थी। हमारे देश के लिए चीन और पाकिस्तान का खतरा अभी बना हुआ है। चीनी सेनाओं का सारी सीमाओं पर काफी संख्या में जमाव है चीनी प्रधान मंत्री ने अपनी अफ्रीकी देशों तथा लंका की यात्रा के दौरान भारत के विरुद्ध काफी प्रचार किया है। पाकिस्तान ने भारत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाकर और हिन्दू तथा ईसाई अल्पसंख्यकों के प्रति नृशंसता का व्यवहार कर हमारे लिये गम्भीर समस्या पैदा कर दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिये संतोष पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना खतरनाक होगा।

पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार सेना में भर्ती में कमी के कारण इस वर्ष के आय व्ययक के प्राक्कलनों की तुलना में राजस्व से पूरा किये जाने वाले प्रतिरक्षा संबंधी वास्तविक व्यय में १५.९६ करोड़ रुपये तथा नये कारखानों पर व्यय घट जाने से प्रतिरक्षा संबंधी वास्तविक पूंजी व्यय में ४३.९ करोड़ रुपये की कमी हुई है। सभा को सेना में भर्ती कम किये जाने तथा आयुध कारखानों की स्थापना में ढील के कारणों को स्पष्ट रूप में बताना चाहिए तथा इन कारणों को दूर करने के उचित कदम उठाये जाने चाहिए। नये प्राक्कलनों के अनुसार वायु सेना संबंधी व्यय में १० करोड़ रुपये की कमी करने का कारण यह बताया गया कि विमान तथा स्टोरों के क्रय के अधिकांश भाग का समायोजन अगले वर्ष किया जायेगा। यह अधिक अच्छा होता यदि वायु सेना संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती।

यह अच्छी बात है कि सरकार ने नये वित्तीय वर्ष में सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष व्यवस्था के साथ साथ पश्चिम बंगाल के, सीमावर्ती दार्जिलिंग जिले के विकास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास के साथ साथ लोगों में राज्य के कार्यों में हाथ बटाने की भावना भी पैदा की जानी चाहिये। इस बात को देखते हुए सरकार की यह घोषणा सराहनीय है कि आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों को राज्य के अन्तर्गत ही स्वायत्तता प्रदान की जायेगी। सरकार को, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में भी इसी प्रकार की स्वायत्तता देने के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करना, राजनैतिक दृष्टि से देश हित में ही है।

वित्त मंत्री महोदय ने कृषि में हो रही अपर्याप्त प्रगति को बढ़ाने की आवश्यकता पर तो जोर दिया है किन्तु उत्पादन बढ़ाने के उपायों में कुछ नहीं बताया है। "पैकेज" कार्यक्रम केवल १५०० विकास खंडों पर लागू किये जाने से कोई लाभ नहीं होगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषकों को कम ब्याज पर ऋण तथा उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिये जाने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री महोदय ने उद्योगों को कई प्रोत्साहन देने की घोषणा की है किन्तु कृषि के संबंध में कोई उत्साहजनक बात नहीं कही है। कृषकों को कुछ और प्रोत्सहान देने के विषय में सरकार को फिर विचार करना चाहिए।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों से पर्याप्त लाभ की आवश्यकता पर जोर देना, पुरानी विचारधारा से भिन्न है। मंत्री महोदय के वक्तव्य में इस आशय का उल्लेख कि इन उपक्रमों में विनियोजन पूंजी से प्राप्त होने वाली आय से ही भावी विकास किया जाये, सराहनीय है।

करुथिरमण (गोबी चेट्टिपलयम) : प्रस्तुत आयव्ययक को देखने से ऐसा जान पड़ता है कि देश में समाजवाद कीनीं व पक्की हो रही है। आय पर इस प्रकार से कर लगाये जा रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में लोग उस धन के अधिकारी नहीं हो पायेंगे जो दूसरे कमा कर उनके लिये छोड़ गये हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका स्वयं कमानी पड़ेगी।

औद्योगिक क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन दिये गये हैं किन्तु कृषि की उपेक्षा की गई है। कृषि के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कृषकों को उनके उत्पादों के उचित मूल्य दिये जाने चाहिये जो इस समय नहीं दिये जाते हैं। यह सोचना निराधार है कि कृषकों को उचित मूल्य देने से खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जायेंगे। कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिये उन्हें कम से कम उनकी उत्पादन लागत तो देनी ही होगी।

बिजली के संभरण की दृष्टि से भी कृषि पीछे है। कुल विद्युत् शक्ति का ३० प्रतिशत कृषि प्रयोजनों के लिये संभरण किया जाता है और कृषकों से ८ नये पैसे प्रति 'यूनिट' लिया जाता है, जब कि औद्योगिक क्षेत्र को ६० प्रतिशत विद्युत् शक्ति का संभरण ४ नये पैसे प्रति 'यूनिट' के हिसाब से किया जाता है। वास्तव में होना इसके विपरीत चाहिए था अर्थात् उद्योगो को दुगुनी दर से और कृषि प्रयोजनों के लिये आधी पर विद्युत् शक्ति संभरण किया जाना चाहिए, तभी हम कृषि उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

देश में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं। सिंचाई कृषि के लिये आवश्यक है। इसलिये अधिक से अधिक सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की जाये। शुष्क क्षेत्रों में कुएं खोदे जाने चाहिएं।

सरकार समर्थन तथा समाहार मूल्यों में भ्रान्ति पैदा कर रही है। समाहार मूल्य बहुत कम है। जब तक कृषकों को लाभप्रद मूल्य नहीं दिये जाते तब तक हम कृषि उत्पादन नही बढ़ा सकते हैं। इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि खाद्यान्नों क मूल्य बढ़ने से सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। कृषकों को दिये जाने वाले मूल्य तथा उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले मूल्यों में बहुत कम अन्तर होना चाहिए। इस प्रकार हम उत्पादन लक्ष्य कुछ ही वर्षों में प्राप्त कर सकेंगे।

राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से चौथी योजनावधि में कावेरी तथा गंगा नदियों को मिलाया जाये और काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक रेलवे बनाकर उत्तर और दक्षिण को मिलाया जाये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*contd.*

पाकिस्तानी हेलीकोप्टर द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री रा० बरुआ कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): क्या मंत्री महोदय को इस बारे में कोई और सूचना मिली है, जिसे वे सभा को देना चाहते हों ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इससे अधिक कोई विशेष सूचना नहीं मिली है ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट): क्या सरकार अब भी इस प्रकार के वायु सीमा उल्लंघनों को रोकने में असमर्थ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह असमर्थता का प्रश्न नहीं है । वास्तव में हेलीकोप्टर को असहाय अवस्था में वहां उतरना पड़ा होगा । इसमें यदि वायु यातायात सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया गया होगा तो निस्संदेह परिवहन मंत्रालय इस घटना के बारे में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करेगा ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है कि घटना वाले दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब हेलीकोप्टर द्वारा साधारण सभा में शामिल होने के लिये सिलहामड़ी गये थे जो बेलूरघाट से ६० मील की दूरी पर है ? क्या सूचनाओं के अनुसार उन्हें पक्का विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में उतरने वाले अधिकारी राष्ट्रपति अय्यूब के सैनिक अंग-रक्षक नहीं थे । क्या इस सम्बन्ध में जांच की जायेगी; और क्या यह भी सच है कि उन लोगों के पास रिवाल्वर देखी गयीं और वे सैनिक वर्दी में थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनके पास रिवाल्वर जैसी कोई वस्तु देखी गई, किन्तु वे सैनिक वर्दी में नहीं थे । मैं उनकी वेशभूषा का हुलिया बता चुका हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं जानता हूं कि यह महत्वपूर्ण है किन्तु मुझे राष्ट्रपति अय्यूब की यात्रा के बारे में और अधिक जानकारी नहीं है । मैं नहीं कह सकता कि वे राष्ट्रपति अय्यूब के साथ जाने वाले सैनिक अधिकारी थे ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या आप इस सम्बन्ध में जांच करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति अय्यूब निकटवर्ती जिले में गये थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उनकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ नहीं कर सकता हूं ।

Shri Yogendra Jha (Madhubani): An atmosphere of 'zehad' against India is being created in Pakistan and there have alreaday occurred such incidents. We should be alert in future. It is dangerous that Pakistani air men should land in our territory. Could the government give an assurance that in future there will be strict watch on our borders to prevent such occurances ?

Shri Y. B. Chavan : We will try.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार हेलीकोप्टर को बलात् नहीं उतरना पड़ा था इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विधायकों को बताया था कि उन्होंने केन्द्र सरकार को सूचना भेज दी है । क्या राज्य सरकार की सूचना के अनुसार यह बलात् अवतरण था ?

प्राप्त सूचना के अनुसार हेलीकोप्टर दिन में गंगारामपुर विकास खंड के कार्यालय के सामने उतरा था, यह स्थान पुलिस थाने के पास है। उस क्षेत्र के फोटो भी लिये गये थे। पुलिस ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? क्या ये बातें राज्य सरकार की रिपोर्ट में दी गई हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राज्य सरकार की रिपोर्ट में फोटो लिये जाने तथा बलात् अवतरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : वक्तव्य के अन्त में कहा गया है कि राज्य सरकार की पुलिस इस मामले में कार्यवाही करेगी जो अत्यन्त निराशाजनक बात है। यह खेद की बात है कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा के बारे में लापरवाही से कार्य कर रही है। माननीय मंत्री का यह कहना गलत है कि राडार को हेलीकोप्टर के उड़ान का पता नहीं लगा क्योंकि यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस बात में सत्यता नहीं है कि हेलीकोप्टर गलती से हमारे क्षेत्र में उतरा है क्योंकि इतने नीचे उड़ान करने पर ऐसी गलती नहीं हो सकती। यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था के ठीक न होने के कारण हुआ है। यह सरकार के लिये लज्जा की बात है कि पाकिस्तान बार बार हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है तथा हमारे अधिकारियों का अपहरण करता रहता है। हम में इतना भी साहस नहीं रह गया है कि हम पाकिस्तानी लुटेरों को, जो हेलीकोप्टर द्वारा हमारी भूमि में उतरते हैं, रोक सकें। यह मामला सैनिक गुप्तचर विभाग को न सौंप कर राज्य सरकार को क्यों सौंपा गया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मामला जांच के लिये पुलिस को सौंपने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस ही इस में सारी कार्यवाही करेगी। इस मामले में वायु सेना के अधिकारी जांच करेंगे। गुप्तचर विभाग इस बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा। यदि यह यातायात विनियमों का उल्लंघन है तो

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इसका कोई राजनैतिक अथवा सैनिक पहलू नहीं है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि यह असैनिक विमान था—जैसी कि हमें सूचना मिली है—तो इसे बिना हमारी पूर्वानुमति से हमारे क्षेत्र में नहीं उतरना चाहिए था। इस पर राज्य सरकार की पुलिस को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। हम अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करने को तैयार हैं। मेरा मतलब नीची उड़ान से यह नहीं था कि वह इतना नीचे उड़ रहा था कि वह उतरने में गलती कर ही नहीं सकता। वह राडार द्वारा पता लगाये जाने की दूरी में उड़ान नहीं कर रहा था।

श्री हरि विष्णु कामत : वह कितनी ऊंचाई पर उड़ान कर रहा था? शायद मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*contd.*

Shri Sivamurthi Swamy (koppal): The financial of a country is an index of the progress made in the economic field. The ruling party has declared socialism as its objective. If the Government is determined to bring about socialism they would have to improve the economic condition of the people. Before formulating a plan people should be taken into confidence and given enough encouragement.

The budget presented by the Finance Minister has been formulated keeping in view the interests of the urban population. It does not contain measures for improving agriculture

We should not import foodgrains from outside and meet our requirements with internal production.

So far as schemes to export more sugar are concerned, in Mysore State under the scheme to develop Tungabhadra 125 thousand acres of land has been beought under localisation scheme. Under that scheme more than one lakh of farmers would have to grow sugarcane crop. Only one or two sugar mills are operating in that area. The hon. Member Shri R.R. Morarka is Managing Director of I.S.R. Mills. He has agreed to give encouragement and help to the Co-operative mills in Kamalapur, which the people of that area have been demanding for several years. Five thousand voters of Kamalapur and Hospet area have even sent a petition to the Petition Committee of Lok Sabha because they got not response from the Government to their demand. Even from the point of view of encouraging socialism the setting up of a mill on the co-operative basis is a step in the right direction. The Compalli Cooperative Factory has been showing better yields than the Hospet Factory. The yield of the cooperative sugar factory is increasing progressively while it is decreasing in the case of I.S.R. Mill, Hospet—a joint stock company. Because the I.S.R. Mills stands to gain Rs. 1·40 lakhs by this one percent decrease in its yield. There is not Governmental machinery to make due assessment of this yield. The system of recovery of sugarcane from the fields is not well organised. The farmer has to incur a loss of about Rs. 105 per acre on account of that. Keeping this in view the farmers of Kamalapur have put forward the demand for the setting up of cooperative sugar factory in their area. The Government has given sanction for the expansion of Hospet Factory. I do not grudge that. But I am not able to understand why Government is hesitant to accede to the demand of the Kamalapur Cooperative Society, when an agreement has been made with the I.S.R. Mill, Hospet. Government should not adopt such an attitude, when its goal is the promotion of socialism in this country.

Shrimati Neeloba Dhanchetty of Sholapur is on fast here. She has resorted to fast because her letters remained unacknowledged. Government should accede to her demands.

A social worker of Bajapur, Shri Bali has addressed a letter to the President. He has decided to undertake a fast unto death unless an assurance comes from the Government to abolish the class system and then put an end to corruption and lawlessness, prevalent in the society. When such honest workers have felt the necessity to undertake fasts unto death for the fulfilment of their demands. I request the Government to try to find a solution to their demands and apprise them of its policy in that regard.

Shri P.L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Deputy Speaker, sir, I would like to make few observations about the budget presented by hon. Finance Minister.

As far as I can see the proposals do not contain adequate provisions for the benefit of agriculture, agriculturists and the workers. Furthermore, the task of abolishing casteism, communal feelings and untouchability from the country has also been neglected.

Some of my predecessors have spoken about the degeneration in the Hindu community but the suggestions put forth by them are not constructive. The feelings of oneness cannot be instilled in the masses so long as they adhere to divergent religious beliefs now prevalent in the society.

What I want to elucidate is that we would not be able to establish socialism in this country until a countrywide revolution—social, financial and religious, is brought about.

The Muslim League contends that they are not being treated justly. I would like to remind that it is the Congress party which has so far shielded them. The league would cease to be in being if other communal parties happen to come into power, Moreover the purpose of the league has been fulfilled long ago and no communal organisations of the kind are now welcome in the country.

I would like to raise some points about my area. My state is bordering with Pakistan and is no well wisher of India. In the present state of affairs it is basically necessary general awakening in the people residing in border areas is aroused. The training now being given for Lok Sahayak Sena should be made compulsory and the period of training should be increased from 15 to 45 days.

The area is in the grip of terrible famine. The state Government, despite their best efforts, are not able to cope with the situation due to lack of finances and shortage of vehicles. More attention needs to be paid towards that state.

The construction of Rajasthan canal should be expedited and the Central Government should take the work of this canal in their own hands. The state is facing food shortage. The abnormal rise in the prices of essential commodities together with the fact that workers there receive meager wages has made the life of those people all the more miserable.

I fail to understand how socialism can be established when the bulk of population is striving simply under the strain of want and poverty, while there are some persons who are robbing in wealth. I would rather say that it is an intriguing budget which does not provide any relief to the poor sections of the country. Socialism is being professed, but it is far from being given a practical shape. You give importance only to those who raise their voice. But the persons for whom you want to bring socialism have no voice, they are innocent illiterate; they can't give vent to their grievances.

The principle of the nationalisation of the bank was accepted unanimously as far back as in 1948 by the congress working committee. But now the representatives of Capitalists argue that the nationalisation of banks would lead to disaster. Those arguments are preposterous and are put forth just to create confusion.

Government has failed miserably in checking the corruption and all sorts of mal-practices rampant in the country. Much can be done in this direction if Government are willing to give thought and to effect the suggestion put forth in the house from time to time.

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न सदस्यों द्वारा आयव्ययक के बारे में व्यक्त किये गये विचारों के बारे में एक ही दृष्टिकोण अपनाना कठिन कार्य है। आयव्ययक के विभिन्न भागों पर विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोकसभा मंगलवार, १० मार्च, १९६४/२० फाल्गुन, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, the 10th March, 1964/Phalguna 20, 1885 (Saka).